रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042021-226643
CG-DL-E-16042021-226643

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 15, 2021/चैत्र 25, 1943
No. 216] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 15, 2021/CHAITRA 25, 1943

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 267(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 के उपबंध (2) के खंड (ग ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 1 अधिकारी (भारतीय बीमा संस्थान की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :-

ये नियम निगम के उन वर्ग 1 अधिकारियों को लागू होंगे जो पूर्णकालिक, वैतनिक और स्थायी हैं ।

3. विशेष भत्ता :

नियम 4 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, जो अधिकारी नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में निर्धारित भारतीय बीमा संस्थान की ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उन्हें उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि के लिए यथा विनिर्दिष्ट विशेष भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

सारणी

भारतीय बीमा संस्थान की परीक्षा का नाम	विशेष भत्ता राशि दर प्रतिमास (रुपये)
लाईसेन्सियेट डिप्लोमा	रु. 650/-
असोशिएटशिप डिप्लोमा	रु. 2,600/-
अध्येतावृत्ति डिप्लोमा	रु. 5,200/-

4. शर्तें :

1. वर्ग 1 में प्रोन्नति से पूर्व भारतीय बीमा संस्थान की एक या अधिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले अधिकारी , वर्ग 1 में रहते हुए उत्तीर्ण परीक्षा के देय भत्ते से प्रोन्नति पूर्व वर्ग 3 में रहते हुए उत्तीर्ण परीक्षा के लिए उपरोक्त तालिका के अनुसार देय भत्ता घटाकर शेष भत्ता के लिए पात्र होंगे ।

2. जो अधिकारी प्रोन्नति पूर्व वर्ग 3 में रहते हुए भारतीय बीमा संस्थान की सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे वर्ग I में प्रोन्नति पर उक्त भत्ते के पात्र नहीं होंगे।

परन्तु कि ऐसे अधिकारी जो वर्ग I में प्रोन्नति पर न्यूनतम मूलवेतन स्तर पर नियत किए गए हों, वे नियम तीन के अधीन विनिर्दिष्ट भत्ते में से आधे के पात्र होंगे।

[फा. स. S-11012/03/2018-Ins. I]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2021

G.S.R. 267(E).—In exercise of the powers conferred by clause (cc) of sub-section (2) of section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class I Officers (Special Allowance for Passing Examinations of Insurance Institute of India) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to whole-time, salaried and confirmed Officers of the Corporation.

3. Special Allowance.—Subject to the conditions specified in rule 4, an officer who passes such examination of the Insurance Institute of India as is set out in column (1) of the Table below, shall be paid Special Allowance as specified against the corresponding entry in column (2) of the said Table:

TABLE

Name of the examination of Insurance Institute of India	Amount of special allowance payable per month
(1)	(2)
Licentiate Diploma	Rs. 650

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

Associateship Diploma	Rs. 2,600
Fellowship Diploma	Rs. 5,200

4. Conditions.—

1. An officer who has passed one or more examinations of Insurance Institute of India prior to promotion as Class I Officer shall be eligible for the allowance for the examination passed while in Class I reduced by the allowance as per above table for the examination passed prior to promotion as Class I officer.

2. An officer who has passed all examinations of Insurance Institute of India prior to promotion as Class I officer shall not be eligible for the said allowance on promotion to Class I.

Provided that such Officer whose pay is fixed at the minimum of the scale on promotion to Class I shall be eligible for half of the allowance specified under rule 3.

[F. No. S-11012/03/2018-Ins. I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 268(अ).—केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग I अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग I अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये नियम 1 अगस्त 2017 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(3) यह नियम उन वर्ग I अधिकारी को लागू होंगे जो निगम के स्थायी स्थापन में 1अगस्त, 2017 या उसके पश्चात पूर्णकालिक वेतन सेवा में थे:

परंतु जहाँ कोई यदि कोई वर्ग I अधिकारी, उस तारीख के जो उस तारीख से पूर्व की नहीं होगी जिसको उक्त नियम प्रवर्तन में आते हैं और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के बाद की नहीं होगी, इन नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होने के अपने विकल्प व्यक्त करते हुये निगम द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निगम को लिखित में एक सूचना देगा, तब निगम, आदेश द्वारा, ऐसे कर्मचारी को उक्त तारीख से उक्त नियमों द्वारा शासित होने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा और इस प्रकार चुनी हुयी तारीख से पूर्व की अवधि के लिए ऐसे कर्मचारी को कोई भी बकाया संदेय नहीं होगा ।

परंतु यह और कि 1 अगस्त, 2017 से इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक की अवधि के दौरान ऐसे अधिकारी जिनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया था या भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृंद) नियम, 1960 के नियम 39 के अधीन जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, पुनरीक्षण मद्दे बकायों का पात्र नहीं होंगे ।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग I अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) में नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :-

"**4. वर्ग I अधिकारियों के वेतनमान और वरिष्ठता.**- (1) वर्ग I अधिकारियों के वेतनमान नीचे दिये गये सारणी के अनुसार निर्दिष्ट की जाएगी:-

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

सारणी

क्र.सं.	प्रविष्टि	वर्ग I अधिकारी का पद	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(i)	क्षेत्रीय प्रबंधक	(क) सामान्य वेतनमान: 1,46,095-4,415(8)-1,81,415 रुपये
	(ii)	मुख्य इंजीनियर/मुख्य वास्तुविद	(ख) चयन वेतनमान: 1,63,755-4,415(2)-1,72,585-4,735(1)-1,77,320-5,180(1)-1,82,500-5,370(4)-2,03,980 रुपये
2.	(i)	उप क्षेत्रीय प्रबंधक / वरिष्ठ मंडल प्रबंधक	1,30,500-3,780(3)-1,41,840-4,255(6)-1,67,370 रुपये
	(ii)	उप मुख्य इंजीनियर / उप मुख्य वास्तुविद	
3.	(i)	मंडल प्रबंधक	1,07,820-3,780(9)-1,41,840 रुपये
	(ii)	अधीक्षण इंजीनियर/ वरिष्ठ संकर्म सर्वेक्षक / वरिष्ठ वास्तुविद	
4.	(i)	सहायक मंडल प्रबंधक / वरिष्ठ शाखा प्रबंधक	87,985-2,645(1)-90,630-2,865(6)-1,07,820-3,780(4)-1,22,940 रुपये
	(ii)	कार्यपालक इंजीनियर/ संकर्म सर्वेक्षक / उप वरिष्ठ वास्तुविद	
5.	(i)	प्रशासनिक अधिकारी / शाखा प्रबंधक	72,115-2,645(7)-90,630-2,865(6)-1,07,820 रुपये
	(ii)	सहायक कार्यपालक इंजीनियर/ सहायक संकर्म सर्वेक्षक/वास्तुविद	
6.	(i)	सहायक प्रशासनिक अधिकारी/ सहायक शाखा प्रबंधक	53,600-2,645(14)-90,630-2,865(4)-1,02,090 रुपये
	(ii)	सहायक इंजीनियर/सहायक वास्तुविद	

(2) उप-नियम (1) के सारिणी में विभिन्न क्रम संख्यांओं के अधीन प्रविष्टि क्रमश: (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्त किए गए अधिकारियों के संबंध में एक पृथक वरिष्ठता सूची रखी जाएगी"।

3. मूल नियमों के नियम 4 (क) में,-

(i) खंड (ख़) में, "अधिकतम पांच ऐसे अतिरिक्त" शब्दों के पश्चात "और पांचवें ऐसे अतिरिक्त का लाभ उठाने से दो वर्ष उपरांत, उसे उसके द्वारा प्राप्त किये गये अंतिम वेतन वृद्धि के बराबर एक और वेतनमान मूल वेतन में जोड़ा जा सकता है" को अंत:स्थापित किया जायेगा;

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

(ii) खंड (ग) में, "अधिकतम दो ऐसे अतिरिक्त" शब्दों के पश्चात "और दूसरे ऐसे अतिरिक्त का लाभ उठाने से दो वर्ष उपरांत, उसे उसके द्वारा प्राप्त किये गये अंतिम वेतन वृद्धि के बराबर एक और वेतनमान मूल वेतन में जोड़ा जा सकता है" को अंतःस्थापित किया जायेगा ।

4. मूल नियमों के नियम 5 में, -

(1) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :

'(1) वर्ग -I अधिकारियों को लागू महंगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित रूप से अवधारित किया जाएगा : -

(1) सूचकांक: औद्योगिक कर्मकारों का अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।

(2) आधार: 1960 की श्रृखला में सूचकांक सं 6352=100

(3) दर: अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 6352 प्वाइंट के ऊपर त्रैमासिक औसत में प्रत्येक चार प्वाइंट के लिए वर्ग I अधिकारी को वेतन पर 0.08 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता संदत्त किया जाएगा।

स्पष्टीकरण. – इस खंड के प्रयोजन के लिए , "वेतन" से अभिप्रेत है मूल वेतन, जिससे इन नियमों के नियम 4 क के अधीन यथा उपबंधित वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात मूल वेतन मे वृद्धियां भी सम्मिलित है।';

(2) उपनियम (2) में "4708 प्वाइंट से ऊपर होने पर 4708-4712-4716-4720" अंको और शब्दों के स्थान पर "6352 प्वाइंट से ऊपर होने पर 6352-6356-6360-6364" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

5. मूल नियमों के नियम 6 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् : -

'(1) वर्ग I अधिकारियों को मकान किराया भत्ता, सिवाए उनके जिनको निगम ने निवास स्थान आबंटित किया है, नीचे दिये गये सारणी के अनुसार निर्दिष्ट की जाएगी:-

सारणी

क्रम सं.	तैनाती का स्थान	मकान किराया भत्ते की दरें
(1)	(2)	(3)
(1)	मुंबई कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम , नवी मुंबई, हैदरावाद, बैंगलुरू तथा 45 लाख और अधिक की जनसंख्या के अन्य नगर।	वेतन का 10 प्रतिशत, अधिकतम 7,840/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
(2)	ऊपर (1) में वर्णित नगरों से भिन्न नगर, जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक और 45 लाख से कम है और गोवा राज्य में कोई नगर।	वेतन का 8 प्रतिशत, अधिकतम 6,620/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
(3)	अन्य स्थान	वेतन का 7 प्रतिशत, अधिकतम 6,370/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए

टिप्पण.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए , –

(i) जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे;

(ii) नगरों में उनकी नगर बस्तियों का एकजीकरण सम्मिलित होंगी ; और

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

(iii) "वेतन" से अभिप्रेत है मूल वेतन और नियम 4क के अधीन मूल वेतन में वृद्धियां और नियम 9क के अधीन नियत वैयक्तिक भत्ता ।' ।

6. मूल नियमों के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : -

'**7. नगर प्रतिकारात्मक भत्ता भता.**- वर्ग I अधिकारियों को संदेय नगर प्रतिकरात्मक भता नीचे दिये गये सारणी के अनुसार विनिर्दिष्ट की जाएगी:-

सारणी

क्रम सं.	तैनाती का स्थान	नगर प्रतिकरात्मक भत्ते की दर
(1)	(2)	(3)
1.	मुंबई कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नवी मुंबई, हैदरावाद, बैंगलुरू तथा 45 लाख और अधिक की जनसंख्या के अन्य नगर।	वेतन का 3 प्रतिशत, अधिकतम 1,960/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
2.	क्रम संख्या (i) पर वर्णित नगरों से भिन्न नगर, जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक और 45 लाख से कम है और गोवा राज्य में कोई नगर।	वेतन का 2.5 प्रतिशत, अधिकतम 1,865/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
3.	वह नगर जिनकी आबादी पाँच लाख और उससे अधिक हैं किंतु 12 लाख से अधिक नहीं है, राज्यों की राजधानियां जिनकी आबादी 12 लाख से अधिक नहीं है, चंडीगढ़, मोहाली, पुडुचेरी, पोर्टब्लेयर और पंचकुला।	वेतन का 2 प्रतिशत, अधिकतम 1,445/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए

टिप्पण.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए , -

(i) जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे;

(ii) नगरों मे उनकी नगर बस्तियां सम्मिलित हैं; और

(iii) "वेतन" से अभिप्रेत है मूल वेतन और नियम 4क के अधीन मूल वेतन में वृद्धियां।' ।

7. मूल नियमों के नियम 7क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : -

"**7क पर्वतीय स्थान भत्ता.**- वर्ग I अधिकारियों को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ता नीचे दिये गये सारणी के अनुसार विनिर्दिष्ट की जाएगी:-

सारणी

क्रम सं.	स्थान	दरें
(1)	(2)	(3)
1.	औसत समुद्री तल से 1500 मीटर तथा अधिक की ऊंचाई पर अवस्थित स्थानों पर तैनात	मूल वेतन का 2.5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 1,245/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

2.	1000 मीटर से अधिक किंतु 1500 मीटर से कम औसत समुद्री तल से अधिक ऊंचाई पर अवस्थित स्थानों पर तैनात या मेरकारा या ऐसे स्थानों में जो केंद्रीय या राज्य सरकारों द्वारा उनके कर्मचारियों के लिए "पर्वतीय स्थान" के रूप में विनिर्दिष्ट रूप से घोषित किया है	मूल वेतन का 2 प्रतिशत की दर से अधिकतम 1,000/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
3.	औसत समुद्री तल से 750 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित जो औसत समुद्री तल से 1000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई की पहाडियों से घिरे हुए है और जहॉ केवल पहाडियों के बीच से ही पहुंचा जा सकता है, स्थानों पर तैनात हैं ।	मूल वेतन का 2 प्रतिशत की दर से अधिकतम 1,000/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए"।

8. मूल नियमों के नियम 7ख में "500 रूपए" अंको और शब्द के स्थान पर "710 रूपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

9. मूल नियमों के नियम 7ग में "1,130 रूपए" अंको और शब्द के स्थान पर "1,595 रूपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

10. मूल नियमों के नियम 7च के पश्चात निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : -

"**7छ. विशेष भत्ता.-** (1) वर्ग - I अधिकारियों को देय विशेष भत्ते की रकम नीचे दिये गये सारणी के अनुसार विनिर्दिष्ट की जाएगी:-

सारणी

क्रं. सं.	वर्ग	प्रति माह भत्ता (रु.)
(1)	(2)	(3)
1.	क्षेत्रीय प्रबंधक (चयन)	13,500
2.	क्षेत्रीय प्रबंधक (सामान्य)	12,000
3.	वरिष्ठ मंडल प्रबंधक/उप क्षेत्रीय प्रबंधक	10,500
4.	मंडल प्रबंधक	9,000
5.	सहायक मंडल प्रबंधक	7,500
6.	प्रशासनिक अधिकारी	6,000
7.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	4,,500

(2) यह भत्ता महंगाई भत्ते की गणना के प्रयोजन के लिए संगणना किया जाएगा, किन्तु भविष्य निधि, उपदान (ग्रेच्युटी), मकान किराया भत्ता, पेंशन, विशेष अवकाश नकदीकरण और प्रोन्नति के साथ वेतन के नियतन के प्रयोजनों के लिए नहीं संगणना किया जाएगा ।

11. मूल नियमों के नियम 9ख में "1,330 रूपए" अंको और शब्द के स्थान पर "1,960 रूपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

12. मूल नियमों के नियम 9घ में "185 रूपए" अंको और शब्द के स्थान पर "265 रूपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. स. S-11012/03/2018-Ins. I]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

स्पष्टीकारक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 794(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्न अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:

(1) सा.का.नि.सं. 960(अ), तारीख 7 दिसंबर, 1987;

(2) सा.का.नि. सं. 493(अ), तारीख 22 अप्रैल, 1988;

(3) सा.का.नि. सं. 872(अ), तारीख 22 अगस्त, 1988;

(4) सा.का.नि. सं. 711(अ), तारीख 25 जुलाई, 1989;

(5) सा.का.नि. सं. 816 (अ), तारीख 11 अक्तूबर, 1990;

(6) सा.का.नि. सं. 324(अ), तारीख 10 मार्च, 1992;

(7) सा.का.नि. सं. 53(अ), तारीख 2 फरवरी, 1994;

(8) सा.का.नि. सं. 597(अ), तारीख 30 जून, 1995;

(9) सा.का.नि. सं. 94(अ), तारीख 16 फरवरी, 1996;

(10) सा.का.नि. सं. 286(अ), तारीख 18 जुलाई, 1996;

(11) सा.का.नि. सं. 530(अ), तारीख 27 अगस्त, 1998;

(12) सा.का.नि. सं. 612(अ), तारीख 30 अगस्त, 1999;

(13) सा.का.नि. सं. 550(अ), तारीख 22 जून 2000;

(14) सा.का.नि. सं. 287(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2004;

(15) सा.का.नि. सं. 559(अ), तारीख 5 सितंबर, 2005;

(16) सा.का.नि. सं. 305(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2007;

(17) सा.का.नि. सं. 631(अ), तारीख 2 सितंबर, 2009;

(18) सा.का.नि. सं. 824(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 2010,

(19) सा.का.नि. सं. 16(अ), तारीख 8 जनवरी, 2013,

(20) सा.का.नि. सं. 28(अ), तारीख 14 जनवरी, 2016,

(21) सा.का.नि. सं. 194(अ), तारीख 26 फरवरी, 2016

(22) सा.का.नि. सं. 402(अ), तारीख 31 मई, 2019

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2021

G.S.R. 268(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Class I Officers' (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, namely:—

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class I Officers' (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2017.

(3) These rules shall be applicable to those Class I Officers who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation on or after the 1st August, 2017:

Provided that where any Class I Officer gives a notice in writing to the Corporation, within a period as specified by the Corporation, expressing his option to be governed by the provisions of these rules with effect from a date which is not earlier than 1st August, 2017 and not later than the date of publication of this notification in the Official Gazette, then the Corporation may, by order, permit such Officer to be governed by these rules with effect from the said date and no arrears for the period prior to the date so opted shall be payable to such officer:

Provided further that an officer whose resignation had been accepted or whose services had been terminated under rule 39 of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 during the period from 1st August, 2017 to the date of publication of this notification in the Official Gazette, shall not be eligible for the arrears on account of revision under these rules.

2. In the Life Insurance Corporation of India, Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985 (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:—

"**4. Scales of pay and seniority of Class I Officers.—**(1) The scale of pay of the Class I Officers shall be as specified in the table below:—

TABLE

S.N.	Entry	Class I Officer posts	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(i)	Zonal Managers	(a) Ordinary Scale: Rs. 1,46,095-4,415(8)-1,81,415
	(ii)	Chief Engineers / Chief Architects	(b) Selection Scale: Rs. 1,63,755-4,415(2)-1,72,585-4,735(1)-1,77,320-5,180(1)-1,82,500-5,370(4)-2,03,980
2.	(i)	Deputy Zonal Managers / Senior Divisional Managers	Rs. 1,30,500-3,780(3)-1,41,840-4,255(6)-1,67,370
	(ii)	Deputy Chief Engineers / Deputy Chief Architects	
3.	(i)	Divisional Managers	Rs. 1,07,820-3,780(9)-1,41,840
	(ii)	Superintending Engineers / Senior Surveyors of Works / Senior Architects	
4.	(i)	Assistant Divisional Managers / Senior Branch Managers	Rs. 87,985-2,645(1)-90,630-2,865(6)-1,07,820-3,780(4)-1,22,940
	(ii)	Executive Engineers / Surveyors of Works / Deputy Senior Architects	
5.	(i)	Administrative Officers / Branch Managers	Rs. 72,115-2,645(7)-90,630-2,865(6)-1,07,820
	(ii)	Assistant Executive Engineers / Assistant Surveyors of Works / Architects	
6.	(i)	Assistant Administrative Officers / Assistant Branch Managers	Rs. 53,600-2,645(14)-90,630-2,865(4)-1,02,090
	(ii)	Assistant Engineers / Assistant Architects	

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

(2) A separate seniority list shall be maintained in respect of Officers appointed to posts specified in entries (i) and (ii) respectively under various serial numbers in the table in sub -rule (1)."

3. In rule 4A of the principal rules,—

(i) in clause (b), after the words "maximum of five such additions", the words "and after two years from availing the fifth such addition, he may be granted one further addition to the basic pay equal to the last increment drawn by him in the scale of pay" shall be inserted;

(ii) in clause (c), after the words "maximum of two such additions", the words "and after two years from availing the second such addition, he may be granted one further addition to the basic pay equal to the last increment drawn by him in the scale of pay" shall be inserted.

4. In rule 5 of the principal rules,—

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) The scale of dearness allowance applicable to Class I Officers shall be determined as under:—

(a) Index: All India Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers.

(b) Base: Index No. 6352 in the series 1960 = 100.

(c) Rate: For every four points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index above 6352 points, a Class I Officer shall be paid dearness allowance at the rate of 0.08 % of Pay.

Explanation.—For the purposes of this clause, "Pay" means the basic pay including additions to the basic pay after reaching maximum of the scale as provided under rule 4A of these rules.";

(b) in sub-rule (2), for the figures and words "4708 points in the sequence of 4708-4712-4716-4720", the figures and words "6352 points in the sequence of 6352-6356-6360-6364" shall be substituted.

5. In rule 6 of the principal rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) The House Rent Allowance applicable to Class I Officers, except those who have been allotted residential accommodation by the Corporation, shall be as specified in the table below:—

TABLE

Sl. No.	Place of posting	Rate of House Rent Allowance
(1)	(2)	(3)
1.	Cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurugram, Navi Mumbai, Hyderabad, Bengaluru and other cities with population of 45 lakh and above	10% of Pay, subject to a maximum of Rs. 7,840 per month
2.	Cities with population exceeding 12 lakh but less than 45 lakh, and except those mentioned at serial number 1, and any city in the State of Goa	8% of Pay, subject to a maximum of Rs. 6,620 per month
3.	Other places	7% of Pay, subject to a maximum of Rs. 6,370 per month

Notes: For the purposes of this sub-rule,—

(i) the population figures shall be as per the latest Census report;

(ii) cities shall include their urban agglomerations; and

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

(iii) "Pay" means basic pay, additions to basic pay under rule 4A and Fixed Personal Allowance under rule 9A."

6. For rule 7 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"**7. City Compensatory Allowance.—**The City Compensatory Allowance payable to Class I Officers shall be as specified in the table below:—

TABLE

Sl.No.	Place of Posting	Rate of City Compensatory Allowance
(1)	(2)	(3)
1.	Cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurugram, Navi Mumbai, Hyderabad, Bengaluru and other cities with population of 45 lakh and above	3% of Pay, subject to a maximum of Rs. 1,960/- per month
2.	Cities with population exceeding 12 lakh but less than 45 lakh, and except those mentioned at serial number 1, and any city in the State of Goa	2.5% of Pay, subject to a maximum of Rs. 1,865/- per month
3.	Cities with population of five lakh and above but not exceeding 12 lakh, State capitals with population not exceeding 12 lakh, Chandigarh, Mohali, Puducherry, Port Blair, and Panchkula	2% of Pay, subject to a maximum of Rs. 1,445/- per month

Notes: For the purposes of this sub-rule,—

(i) the population figures shall be as per the latest Census report;

(ii) cities shall include their urban agglomerations; and

(iii) "Pay" means basic pay plus additions to basic pay under rule 4A."

7. For rule 7A of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"**7A. Hill Allowance.—**The scales of Hill Allowance payable to Class I Officers shall be as specified in the table below:—

TABLE

Sl. No.	Places	Rates
(1)	(2)	(3)
1.	Posted at a place situated at a height of 1,500 metres or more above the mean sea level	At the rate of 2.5% of Basic Pay subject to maximum of Rs. 1,245/- per month
2.	Posted at a place situated at a height of 1,000 metres or more but less than 1,500 metres above the mean sea level, or at Mercara, or at a place which is specifically declared as a "hill station" by the Central Government or the State Government concerned for their employees	At the rate of 2% of Basic Pay subject to maximum of Rs. 1,000/- per month
3.	Posted at a place situated at a height of not less than 750 metres or more above the mean sea level and which is surrounded by and accessible only through hills having a height of 1,000 metres or more above the mean sea level	At the rate of 2% of Basic Pay subject to maximum of Rs. 1,000/- per month".

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

8. In rule 7B of the principal rules, for the letters and figures "Rs. 500", the letters and figures "Rs. 710" shall be substituted.

9. In rule 7C of the principal rules, for the letters and figures "Rs. 1130", the letters and figures "Rs. 1,595" shall be substituted.

10. After rule 7F of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely:—

"**7G. Special Allowance.—(1)** The amount of Special Allowance payable to Class I Officers shall be as specified in the table below:—

TABLE

Sl.No.	Category	Allowance per month (Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	Zonal Manager (Selection)	13,500
2.	Zonal Manager (Ordinary)	12,000
3.	Senior Divisional Manager / Deputy Zonal Manager	10,500
4.	Divisional Manager	9,000
5.	Assistant Divisional Manager	7,500
6.	Administrative Officer	6,000
7.	Assistant Administrative Officer	4,500

(2) The allowance under this rule shall be reckoned for the purpose of calculation of dearness allowance but shall not be reckoned for the purposes of Provident Fund, gratuity, House Rent Allowance, pension, encashment of privilege leave and fixation of pay upon promotion.

11. In rule 9B of the principal rules, for the letters and figures "Rs. 1330", the letters and figures "Rs. 1,960" shall be substituted.

12. In rule 9D of the principal rules, for the letters and figures "Rs 185/-", the letters and figures "Rs. 265" shall be substituted.

[F. No. S-11012/03/2018-Ins. I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 794(E), dated the 11th October, 1985 and were subsequently amended *vide* the following notifications:

(1) G.S.R. 960(E), dated the 7th December, 1987

(2) G.S.R. 493(E), dated the 22nd April, 1988

(3) G.S.R. 872(E), dated the 22nd August, 1988

(4) G.S.R. 711(E), dated the 25th July, 1989

(5) G.S.R. 816(E), dated the 11th October, 1990

(6) G.S.R. 324(E), dated the 10th March, 1992

(7) G.S.R. 53(E), dated the 2nd February, 1994

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

(8) G.S.R. 597(E), dated the 30th June, 1995

(9) G.S.R. 94(E), dated the 16th February, 1996

(10) G.S.R. 286(E), dated the 18th July, 1996

(11) G.S.R. 530(E), dated the 27th August, 1998

(12) G.S.R. 612(E), dated the 30th August, 1999

(13) G.S.R. 550 (E), dated the 22nd June, 2000

(14) G.S.R. 287(E), dated the 27th April, 2004

(15) G.S.R. 559(E), dated the 5th September, 2005

(16) G.S.R. 305(E), dated the 25th April, 2007

(17) G.S.R. 631(E), dated the 2nd September, 2009

(18) G.S.R. 824(E), dated the 8th October, 2010

(19) G.S.R. 16(E), dated the 8th January, 2013

(20) G.S.R. 28(E), dated 14th January, 2016

(21) G.S.R. 194(E), dated 26th February, 2016

(22) G.S.R. 402(E), dated 31st May, 2019

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 269(अ).—केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तो का पुनरीक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये नियम 1 अगस्त 2017 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(3) यह नियम उन विकास अधिकारियों को लागू होंगे जो निगम के स्थायी स्थापन में 1 अगस्त, 2017 को या उसके पश्चात पूर्णकालिक वेतन सेवा में थे:

परंतु जहाँ कोई विकास अधिकारी, उस तारीख के जो उस तारीख से पूर्व की नहीं होगी जिसको उक्त नियम प्रवर्तन में आते हैं और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के बाद की नहीं होगी, इन नियमों के उपबंध 1 अगस्त 2017 से लागू होते हैं और शासित होने के अपने विकल्प को व्यक्त करते हुए निगम द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निगम को लिखित में एक सूचना देगा, तब निगम, आदेश द्वारा, ऐसे अधिकारियों को उक्त तारीख से उक्त नियमों द्वारा शासित होने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा और इस प्रकार चुनी गई तारीख से पूर्व अवधि के लिए ऐसे अधिकारी को कोई भी बकाया संदेय नहीं होगा:

परंतु यह और कि 1 अगस्त, 2017 से इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक की अवधि के दौरान ऐसे विकास अधिकारी जिनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया था या भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृंद) नियम, 1960 के नियम 39 के अधीन जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, पुनरीक्षण मद्दे बकायों का पात्र नहीं होंगे

2. भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण), 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) में, नियम 2 में खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:-

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

'ङ "विशेष नियमों" से भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तो का पुनरीक्षण) नियम, 2009 अभिप्रेत है जो भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तो का पुनरीक्षण) नियम, 2016 द्वारा संशोधित किया गया है । '

3. मूल नियमों के नियम 4 में,-

(i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात :-

"35,650-2,200(2)-40,050-2,595(2)-45,240-2,645(17)-90,205"।

(ii) उपनियम (3) में, " अधिकतम चार ऐसे अतिरिक्त" शब्दों के बाद " चौथे ऐसे अतिरिक्त का लाभ उठाने से दो साल उपरांत उसके द्वारा प्राप्त किये गये अंतिम वेतन वृद्धि के बराबर एक और वेतनमान मूल वेतन में जोड़ दिया जा सकता है" को अन्तः स्थापित किया जायेगा ।

4. मूल नियमों के नियम 5 में,-

(i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(1) विकास अधिकारियों को लागू महंगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित रुप से अवधारित किया जाएगा:

(क) सूचकांक : औद्योगिक कर्मकारों का अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(ख) आधार: 1960 = 100 की श्रंखला में सूचकांक सं 6352

(ग) दर : अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6352 प्वाइंट के ऊपर त्रैमासिक औसत में प्रत्येक चार प्वाइंट के लिए विकास अधिकारी को वेतन पर 0.08 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता संदत्त किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.– इस खंड के प्रयोजन के लिए, "वेतन" से मूल वेतन अभिप्रेत है, जिसमें इन नियमों के नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन यथा उपबंधित वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् मूल वेतन में वृद्धियां भी सम्मिलित है';

(2) उपनियम (2) में "4708 प्वाइंट सें ऊपर होने पर 4708-4712-4716-4720" अंको और शब्दो के स्थान पर "6352 प्वाइंट सें ऊपर होने पर 6352-6356-6360-6364" अंक और शब्द रखे जायेंगे।

5. मूल नियमों के नियम 6 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(1) विकास अधिकारियों के, सिवाए उनके जिनको निगम ने निवास स्थान आबंटित किया है, मकान किराया भत्ता निम्नलिखित होगा:

सारणी

क्रम संख्या	तैनाती का स्थान	मकान किराया भत्ते की दरें
(1)	(2)	(3)
(1)	मुंबई कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नवी मुंबई, हैदराबाद, बैंगलुरू एवं 45 लाख और उससे ऊपर अधिक की जनसंख्या वाले अन्य नगर।	वेतन का 10 प्रतिशत, अधिकतम 7,840/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
(2)	क्रम संख्या (1) में वर्णित नगरों के सिवाय, 12 लाख से अधिक किंतु 45 लाख से कम जनसंख्या वाले अन्य नगर एवं गोवा राज्य में कोई नगर।	वेतन का 8 प्रतिशत, अधिकतम 6,620/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
(3)	अन्य स्थान	वेतन का 7 प्रतिशत, अधिकतम 6,370/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

टिप्पण .- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए –

(i) जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे;

(ii) नगरों में उनकी नगर बस्तियां सम्मिलित है; और

(iii) "वेतन" से अभिप्रेत है मूल वेतन, मूल वेतन में वृद्धियां और नियत वैयक्तिक भत्ता।'

6. मूल नियमों के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

'**7. नगर प्रतिकारात्मक भत्ता .**- विकास अधिकारियों को संदेय नगर प्रतिकरात्मक भत्ता निम्नलिखित होगा :-

सारणी

क्र. सं.	**तैनाती का स्थान**	**नगर प्रतिकरात्मक भत्ते की दरें**
(1)	(2)	(3)
i	मुंबई कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नवी मुंबई, हैदराबाद, बैंगलुरू तथा 45 लाख और अधिक की जनसंख्या के अन्य नगर	वेतन का 3 प्रतिशत, अधिकतम 1,660/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
Ii	क्रम संख्या (1) में वर्णित नगरों के सिवाय, जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक किंतु 45 लाख से कम है एवं गोवा राज्य में कोई नगर	वेतन का 2.5 प्रतिशत, अधिकतम 1,535/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
iii	5 लाख और उससे अधिक किंतु 12 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर, राज्यों की राजधानियां जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक नहीं है, चडीगढ, मोहाली, पुडुचेर्री, पोर्टब्लेयर और पंचकुला	वेतन का 2 प्रतिशत, अधिकतम 1,345/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए

टिप्पण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(i) जनसंख्या के आंकडे नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे;

(ii) नगरों मे उनकी नगर बस्तियां सम्मिलित है; और

(iii) "वेतन" से मूल वेतन, मूल वेतन में वृद्धियां अभिप्रेत' है ।

7. मूल नियमों के नियम 7क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : -

"7क. पर्वतीय भत्ता.- विकास अधिकारियों को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ते के मापमान इस प्रकार होंगे :-

सारणी

क्रम सं.	**स्थान**	**दर**
(1)	(2)	(3)
1.	समुद्री तल से 1500 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तैनात	मूल वेतन का 2.50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 1,000/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
2.	समुद्री तल से 1000 मीटर या उससे अधिक किंतु 1500 मीटर से कम की ऊंचाई पर स्थित स्थानों, मेरकारा पर तथा ऐसे स्थानों पर तैनात् जिन्हे विनिर्दिष्ट रूप से केंद्रीय सरकार या राज्य	मूल वेतन का 2 प्रतिशत की दर से अधिकतम 790/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

	सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए "पर्वतीय स्थानों" के रूप में घोषित किया गया है ।	
3.	समुद्री तल से 750 मीटर से अन्यून की ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थानों पर जो समुद्री तल से 1000 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाले पर्वतों से घिरे हुए है और उन्हीं पर्वतों में होकर वहां तक पहुंचा जा सकता है, तैनात हैं ।	मूल वेतन का 2 प्रतिशत की दर से अधिकतम 790/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए ।"

8. मूल नियमों के नियम नियम 7ख के पश्चात निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : -

"**7ग. विशेष भत्ता.-** निगम के प्रत्येक विकास अधिकारी को विशेष भत्ते के रूप में प्रति माह 3,200 रुपये का भुगतान किया जाएगा:-

बशर्ते यह भत्ता महंगाई भत्ते की गणना के प्रयोजन के लिए संगणना किया जाएगा, किन्तु भविष्य निधि, उपदान (ग्रेच्युटी), मकान किराया भत्ता, पेंशन, विशेष अवकाश नकदीकरण और प्रोन्नति के साथ वेतन के नियतन के प्रयोजन के लिए नहीं संगणना किया जाएगा।

9. मूल नियमों के नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**10. साम्यापूर्ण अनुतोष.** – (1) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 1 के उपनियम (2) या उपनियम (3) में, किसी बात के होते हुए भी, निगम, विकास अधिकारियों की बाबत 1 अप्रैल, 2021 के पूर्व की अवधि के लिए वेतन की बकाया राशि प्रदान करने के लिए अनुदेशों द्वारा साम्यापूर्ण अनुतोष के रुप में उपबंध कर सकेगा ।

(2) विकास अधिकारी (सेवा की शर्तों और नियमों में संशोधन) संशोधन नियम, 2021 के प्रकाशन के तुरंत बाद विशेष नियमों के अधीन मूल्यांकन वर्ष के प्रयोजन के लिए वार्षिक पारिश्रमिक प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए 1 अगस्त 2017 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए संदत्त 100 साम्यापूर्ण अनुतोष नहीं लिया जाएगा

स्पष्टीकरण .–

(1) शंकाओ को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष की बाबत संबलम उस वित्तीय वर्ष के सुसंगत मूल्यांकन वर्ष में वार्षिक परिलब्धियों का भागरूप होगा ।

(2) निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारीवृंद) नियम, 1960 के नियम 51 के उपनियम (2) के अधीन उस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों द्वारा उन व्यक्तियों के लिए, जो 1 अगस्त 2017 को या उसके पश्चात् किंतु इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पूर्व विकास अधिकारियों के रूप में काम कर चुके हों, इन नियमों द्वारा यथा पुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन नियत करने के लिए उपबंध कर सकेगा, उन्हें विकास अधिकारीयों के रूप में उनकी सेवायों के समाप्त हो जाने की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत कर सकेगा और यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि क्या विकास अधिकारियों के किसी वर्ग को इस रूप में उनकी सेवा की अवधी के लिए कोई साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में संदाय किया जा सकता है या नही और यदि किया जा सकता है तो उसकी रकम कितनी और उसके निर्बंधन और शर्ते क्या होंगी :

परंतु विकास अधिकारियों के ऐसे किसी वर्ग की बाबत, जिनकी सेवाएं विशेष नियम के अधीन समाप्त की गई हैं, साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में कोई संदाय अनुज्ञात नही किया जाएगा ।

(3) इन नियमों के अन्य उपबंधो के अधीन रहते हुए, जहा मूल वेतन इस नियम के अनुसार नियत किया जाता है, वहां इन नियमों द्वारा पुनरीक्षित अन्य भत्ते और फायदे भी ऐसे नियतन के आधार पर देय होंगे ।

10. मूल नियमों के नियम 10ग में अंक और शब्द "185/- रुपए" के स्थान पर "265/- रुपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. स. S-11012/03/2018-Ins. I]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

स्पष्टीकारक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना नही है ।

टिप्पण : भारत के राजपत्र; असाधारण भाग II खंड 3 उप-खण्ड (i) में मूल नियम सा.का.नि. सं. 1091(अ), तारीख 17 सितंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका तत्पश्चात संशोधन निम्नावत किया गया:

(1) सा. का.नि. सं. 962(अ), तारीख 7 दिसंबर, 1987;

(2) सा.का.नि. सं. 871(अ), तारीख 22 अगस्त, 1988;

(3) सा.का.नि. सं. 968(अ), तारीख 7 नवम्बर, 1989;

(4) सा.का.नि. सं. 825(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 1990;

(5) सा.का.नि. सं. 55(अ), तारीख 21 जनवरी, 1992;

(6) सा.का.नि. सं. 325(अ), तारीख 10 मार्च, 1992;

(7) सा.का.नि. सं. 54(अ), तारीख 2 फरवरी, 1994;

(8) सा.का.नि. सं. 596(अ), तारीख 30 जून, 1995;

(9) सा.का.नि. सं. 95(अ), तारीख 16 फरवरी, 1996;

(10) सा.का.नि. सं. 287(अ), तारीख 18 जुलाई, 1996;

(11) सा.का.नि. सं. 531(अ), तारीख 27 अगस्त, 1998;

(12) सा.का.नि. सं. 551(अ), तारीख 22 जून, 2000;

(13) सा.का.नि. सं. 288(अ), तारीख 27 अप्रेल, 2004;

(14) सा.का.नि. सं. 560(अ), तारीख 5 सितंबर, 2005

(15) सा.का.नि. सं. 825(अ) तारीख 8 अक्तूबर, 2010,

(16) सा.का.नि. सं. 29(अ), तारीख 14 जनवरी, 2016,

(17) सा.का.नि. सं. 196(अ), तारीख 26 फरवरी, 2016

(18) सा.का.नि. सं. 403(अ), तारीख 31 मई, 2019. द्वारा ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2021

G.S.R. 269(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2017.

(3) These rules shall be applicable to those Development Officers who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation as on or after the 1st August, 2017:

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

Provided that where any Development Officer gives a notice in writing to the Corporation, within a period as specified by the Corporation, expressing his option to be governed by the provisions of these rules with effect from a date which is not earlier than 1st August, 2017 and not later than the date of publication of this notification in the Official Gazette, then the Corporation may, by order, permit such Officer to be governed by these rules with effect from the said date and no arrears for the period prior to the date so opted shall be payable to such Development Officer:

Provided further that a Development Officer whose resignation had been accepted or whose services had been terminated under rule 39 of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 during the period from 1st August, 2017 to the date of publication of this notification in the Official Gazette, shall not be eligible for the arrears on account of revision under these rules.

2. In the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, for sub-rule (e), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

'(e) "Special Rules" means the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 2009 as amended by the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2016.'

3. In rule 4 of the principal rules,—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) The scales of pay of the Development Officers shall be Rs 35,650-2,200(2)-40,050-2,595(2)-45,240-2,645(17)-90,205.";

(ii) in sub-rule (3), after the words "maximum of four such additions", the words "and after two years from availing the fourth such addition, he may be granted one further addition to the basic pay equal to the last increment drawn by him in the scale of pay" shall be inserted.

4. In rule 5 of the principal rules,—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) The scale of dearness allowance applicable to Development Officers shall be determined as under:—

(a) Index: All India Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers.

(b) Base: Index No.6352 in the series 1960 = 100.

(c) Rate: For every four points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index above 6352 points, a Development Officer shall be paid dearness allowance at the rate of 0.08 % of Pay.

Explanation.—For the purposes of this clause, "Pay" means basic pay including additions to the basic pay after reaching maximum of the scale as provided under sub-rule (3) of rule 4.";

(ii) in sub-rule(2), for the figures and words "4708 points in the sequence of 4708-4712-4716-4720", the figures and words "6352 points in the sequence of 6352-6356-6360-6364" shall be substituted.

5. In rule 6 of the principal rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) The House Rent Allowance of Development Officers except those who are allotted residential accommodation by the Corporation shall be as specified in the table below:

TABLE

Sl. No.	Place of posting	Rate of House Rent Allowance
(1)	(2)	(3)
1.	Cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurugram, Navi Mumbai, Hyderabad, Bengaluru and other cities with population of 45 lakh and above	10% of Pay, subject to a maximum of Rs. 7,840/- per month

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

2.	Cities with population exceeding 12 lakh but less than 45 lakh, and except those mentioned at serial number 1, and any city in the State of Goa	8% of Pay, subject to a maximum of Rs. 6,620/- per month
3.	Other places	7% of Pay, subject to a maximum of Rs. 6,370/- per month

Notes: For the purposes of this sub-rule,—

(i) the population figures shall be as per the latest Census Report;

(ii) cities shall include their urban agglomerations; and

(iii) "Pay" means basic pay, additions to basic pay and Fixed Personal Allowance.".

6. For rule 7 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"**7. City Compensatory Allowance.—**The City Compensatory Allowance payable to Development Officers shall be as specified in the table below:—

TABLE

Sl. No.	Place of posting	Rate of City Compensatory Allowance
(1)	(2)	(3)
1.	Cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurugram, Navi Mumbai, Hyderabad, Bengaluru and other cities with population of 45 lakh and above	3% of Pay, subject to the maximum of Rs. 1,660/- per month
2.	Cities with population exceeding 12 lakh but less than 45 lakh, and except those mentioned at serial number 1, and any city in the State of Goa	2.5% of Pay, subject to the maximum of Rs. 1,535/- per month
3.	Cities with population of five lakh and above but not exceeding 12 lakh, State capitals with population not exceeding 12 lakh, Chandigarh, Mohali, Puducherry, Port Blair, and Panchkula	2% of Pay, subject to the maximum of Rs. 1,345/- per month

Notes: For the purposes of this sub-rule,—

(i) the population figures shall be as per the latest Census Report;

(ii) cities shall include their urban agglomerations; and

(iii) "Pay" means basic pay, additions to basic pay.".

7. For rule 7A of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"**7A. Hill Allowance.—**The scales of Hill Allowance payable to Development Officers shall be as specified in the table below:—

TABLE

Sl. No.	Places	Rates
(1)	(2)	(3)
1.	Posted at a place situated at a height of 1,500 metres or more above the mean sea level	At the rate of 2.5% of Basic Pay subject to maximum of Rs. 1,000/- per month

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

2.	Posted at a place situated at a height of 1,000 metres or more but less than 1,500 metres above the mean sea level, or at Mercara, or at a place which is specifically declared as a "hill station" by the Central Government or the State Government concerned for their employees	At the rate of 2% of Basic Pay subject to maximum of Rs. 790/- per month
3.	Posted at a place situated at a height of not less than 750 metres or more above the mean sea level and which is surrounded by and accessible only through hills having a height of 1,000 metres or more above the mean sea level	At the rate of 2% of Basic Pay subject to maximum of Rs. 790/- per month."

8. After rule 7B of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely:—

"**7C. Special Allowance.—(1)** Every Development Officer of the Corporation shall be paid an amount of Rs. 3,200/- per month by way of Special Allowance:

(2) The allowance under this rule shall be reckoned for the purpose of calculation of dearness allowance but shall not be reckoned for the purposes of Provident Fund, gratuity, House Rent Allowance, pension, encashment of privilege leave and fixation of pay upon promotion."

9. For rule 10 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"**10. Equitable Relief.—**(1) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) or sub-rule (3) of rule 1 of the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of service) Amendment Rules, 2016, the Corporation may, in respect of Development Officers, by instructions, provide for grant of arrears of salary for the period prior to 1st April, 2021 by way of equitable relief.

(2) The 100% of equitable relief paid to the Development Officers for the period from 1st August, 2017 to 31st March, 2021 shall not be taken into account for the purpose of arriving at the annual remuneration for the purpose of appraisal year under the Special Rules commencing immediately after the date of publication of Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of service) Amendment Rules, 2021.

Explanation.—

(1) For the removal of doubts, it is clarified that the salary relating to the financial year commencing on 1st April, 2021 shall form part of the annual remuneration in the relevant appraisal years in that financial year.

(2) The Corporation may provide by instructions issued in this behalf under sub-rule(2) of rule 51 of the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 for fixation of basic pay in the scales of pay as revised by these rules of persons who may have worked as Development Officers on or after 1st August, 2017 but before the date of publication of this notification in the Official Gazette, classify them according to the nature of cessation of their service as Development Officers and specify whether the payments by way of equitable relief may be allowed to any class of Development Officers at all for the period of their service as such and if so, the amount and the terms and conditions thereof:

Provided that no payment by way of equitable relief shall be allowed in respect of the class of Development Officers whose services may have been terminated under the Special Rules.

(3) Subject to the other provisions of this rule, where basic pay is fixed in accordance with this rule, the other allowances and benefits as revised by these rules shall also be payable on the basis of such fixation.".

10. In rule 10C of the principal rules, for the letters and figures "Rs. 185/-", the letters and figures "Rs. 265" shall be substituted.

[F. No. S-11012/03/2018-Ins. I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

EXPLANATORY MEMORANDUM

It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 1091(E), dated the 17th September, 1986 and subsequently amended *vide* the following notifications:

(1) G.S.R. 962(E), dated the 7th December, 1987

(2) G.S.R. 871(E), dated the 22nd August,1988

(3) G.S.R. 968(E), dated the 7th November, 1989

(4) G.S.R. 825(E), dated the 9th October, 1990

(5) G.S.R. 55(E), dated the 21st January, 1992

(6) G.S.R. 325(E), dated the 10th March, 1992

(7) G.S.R. 54(E), dated the 2nd February, 1994

(8) G.S.R. 596(E), dated the 30th June, 1995

(9) G.S.R. 95(E), dated the 16th February, 1996

(10) G.S.R. 287(E), dated the 18th July, 1996

(11) G.S.R. 531(E), dated the 27th August, 1998

(12) G.S.R. 551(E), dated the 22nd June, 2000

(13) G.S.R. 288(E), dated the 27th April,2004

(14) G.S.R. 560(E), dated the 5th September, 2005

(15) G.S.R. 825(E), dated 8th October, 2010

(16) G.S.R. 29(E), dated 14th January, 2016

(17) G.S.R. 196(E), dated 26th February, 2016

(18) G.S.R. 403(E), dated 31st May, 2019

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 270(अ).— केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधनो और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम 1 अगस्त 2017 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(3) यह नियम उन वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों को लागू होंगे जो निगम के स्थायी स्थापन में 1 अगस्त, 2017 को या उसके पश्चात पूर्णकालिक वेतन सेवा में थे:

परंतु जहाँ कोई वर्ग 3 या वर्ग 4 का कर्मचारी, उस तारीख से जो 1 अगस्त, 2017 से पूर्व की नहीं हैं और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के बाद की नहीं है , इन नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होने के अपने विकल्प को व्यक्त करते हुए निगम द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निगम को लिखित में एक सूचना

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

देगा, तब निगम, आदेश द्वारा, ऐसे कर्मचारी को उक्त तारीख से इन नियमों द्वारा शासित होने के लिए अनुमति दे सकेगा और इस प्रकार चुनी गई तारीख से पूर्व अवधि के लिए ऐसे कर्मचारी को कोई भी बकाया संदेय नहीं होगा:

परंतु यह और कि 1 अगस्त, 2017 से इस राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक की अवधि के दौरान ऐसे वर्ग 3 या 4 के कर्मचारी जिनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया था या भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृंद) नियम, 1960 के नियम 39 के अधीन जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, इन नियमों के अधीन पुनरीक्षण मद्दे बकायों का पात्र नहीं होंगे ।

(4) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात से कोई कर्मचारी उन अतिकालिक मजदूरियों से जिनके लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पूर्व वह हकदार था, अधिक अतिकालिक मजदूरी का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) के नियम 4 के स्थान पर निम्न नियम रखा जाएगा, अर्थात्:- -

"4. वर्ग 3 के कर्मचारियों के वेतनमान और अन्य भत्ते.-

(1) वर्ग 3 के कर्मचारियों के वेतनमान नीचे दी गई सारणी के अनुसार विनिर्दिष्ट की जाएगी:-

सारणी

वर्ग 3 कर्मचारी पद	वेतनमान
(1)	(2)
उच्चतर श्रेणी सहायक	35,310-2,370(3)-42,420-2,645(15)-82,095 रुपये
आशुलिपिक	29,530-1,690(4)-36,290-1,960(2)-40,210-2,390(3)-47,380-2,480(2)-52,340-2,645(8)-73,500 रुपये
सहायक, गृहिता और संदायकर्ता रोकडिया के रूप में नियुक्त सहायक, प्रोजेक्सनिस्ट और माइइक्रोप्रोसेसर प्रचालक	23,465-1,375(1)-24,840-1,500(2)-27,840-1,690(5)-36,290-1,960(2)-40,210-2,390(3)-47,380-2,480(2)-52,340-2,645(5)-65,565 रुपये
अभिलेख लिपिक	21,740-775(4)-24,840-1,220(3)-28,500-1,375(2)-31,250-1,390(6)-39,590-1,500(6)-48,590 रुपये"

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेतनमानों के अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रवर्ग के कर्मचारी नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक विशेष भत्ता प्राप्त करेंगे :-

(अ) ऐसे उच्चतर श्रेणी सहायक जो आंतरिक लेखा परीक्षा सहायकों के रूप में नियुक्त किए गए हैं : -

(क) प्रथम पांच वर्ष के लिए – 1,525 रूपए प्रति मास

(ख) आगामी पांच वर्ष के लिए - 1,740 रूपए प्रति मास

(ग) पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए - 1,880 रूपए प्रति मास

(आ) ऐसे सहायक जो गृहीता और संदायकर्ता रोकडिया के रूप में नियुक्त किए गए हैं – 3,530 रूपए प्रति मास ;

परंतु उक्त भत्ता को महंगाई भत्ते, भविष्य निधि, उपदान, मकान किराए भत्ते, पेंशन, विशेषाधिकार छुट्टी को भुनाने के लिए संगणना के प्रयोजन और प्रोन्नति पर वेतन नियत करने के उद्देश्य से गणना मे नहीं लिया जाएगा ।";

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

(3) वृतिमूलक भत्ता वर्ग 3 कर्मचारियों के निम्नलिखित प्रवर्गों को संदत्त किया जाएगा-

(क) ऐसे बंदा, डुप्लिकेटिंग और झेरोक्स मशीन प्रचालक जो अभिलेख लिपिक के वेतनमान में हैं- 215 रूपए प्रति मास

(ख) ऐसे माईक्रोप्रोसेसर प्रचालक जो सहायकों के वेतनमान में हैं – 405 रूपए प्रति मास

(ग) ऐसे प्रोग्रामर जो उच्चतर श्रेणी सहायकों के वेतनमान में हैं – 1,270 रूपए प्रति मास:

परंतु विद्यमान वर्ग 3 के कर्मचारी, जो 31 जुलाई 2017 को कोई वृत्तिमूलक भत्ता प्राप्त कर रहें हैं, उसे तब तक प्राप्त करते रहेगें जब तक उस पद पर बना रहता है जिस पर वृत्तिमूलक भत्ता मिलता है, भविष्य में मजदूरी के पुनरीक्षण पर आमेलित कर लिया जाएगा" ।

3. मूल नियमों के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : -

"6. वर्ग 4 के अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमान .-

(1) वर्ग 4 के अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमान नीचे दी गई सारणी के अनुसार निर्दिष्ट की जाएगी:-

सारणी

वर्ग 4 कर्मचारी पद	वेतनमान
(1)	(2)
ड्राइवर	21,740-980(6)-27,620-1,015(1)-28,635-1,220(12)-43,275 रुपये
सिपाही, हमाल, प्रधान- चपरासी, लिफ्ट मैन और चौकीदार	18,930-775(5)-22,805-825(8)-29,405-980(1)-30,385-1,015(2)-32,415-1,220(3)-36,075 रुपये
झाड़ूकस और सफाईवाले	17,950-775(5)-21,825-825(8)-28,425-980(6)-34,305 रुपये

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वर्ग 4 के अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों के अतिरिक्त.-

" (क) निम्नलिखित प्रवर्गों के कर्मचारी नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक विशेष भत्ता प्राप्त करेंगे जिसे सभी प्रयोजनों के लिए मूल वेतन के रूप में गिना जाएगा:

प्रधान चपरासी, लिफ्ट मैन और चौकीदार- 1,620 रूपए प्रति मास

(ख) सिपाही के वेतनमान के फ्रैंकिंग मशीन प्रचालकों को, 170 रूपए प्रति मास का वृत्तिमूलक भत्ता संदत्त किया जाएगा"।

4. मूल नियमों के नियम 7 के खंड (ख) में, " अधिकतम छह ऐसे अतिरिक्त" शब्दों के पश्चात " और छठे ऐसे अतिरिक्त का लाभ उठाने से दो वर्ष पश्चात, उसे उसके द्वारा प्राप्त किये गये अंतिम वेतन वृद्धि के बराबर एक और वेतनमान दिया जा सकता है" को अंतःस्थापित किया जायेगा ।

5. मूल नियमों के नियम 8 में, -

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित रूप से अवधारित किया जाएगा:

(i) सूचकांक: औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ।

(ii) आधार: 1960=100 के क्रम में सूचकांक सं 6352 ।

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

(iii) दर: अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 6352 प्वाइंट के ऊपर तिमाही औसत में प्रत्येक चार प्वाइंट के लिए, वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारी को वेतन पर 0.08 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता संदाय किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए "वेतन" से अभिप्रेत है-

(i) मूल वेतन ;

(ii) नियम 7 में निर्दिष्ट मूल वेतन के अतिरिक्त;

(iii) नियम 6 के उपनियम (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट विशेष भत्ता;

(iv) नियम 19 क में यथाउपबंधित सहायकों और आशुलिपिकों के वेतनमान में कर्मचारियों को संदेय स्नातक भत्ता; और

(v) भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम 1988 के नियम 2 या नियम 4 में निर्दिष्ट विशेष भत्ता।";

(2) उपनियम (2) में, "4708-4712-4716-4720 के क्रम में 4708 प्वाइंटस" अंको और शब्दों के स्थान पर "6352-6356-6360-6364 के क्रम में 6352 प्वाइंटस" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

6. मूल नियमों के नियम 9 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(1) उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें निगम द्वारा आवास आबंटित किया गया है, वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता नीचे दी गई सारणी के अनुसार विनिर्दिष्ट की जाएगी:-

सारणी

क्र. संख्या	तैनाती का स्थान	मकान किराया भत्ते की दरें
(1)	**(2)**	**(3)**
1	मुंबई कोलकाता , चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुडगाव , नवी मुंबई, हैदरावाद, बैंगलुरू, और 45 लाख और इससे अधिक जनसंख्या के अन्य शहर	न्यूनतम 1,720/- रूपए प्रतिमास और अधिकतम 7,840/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए वेतन का 10 प्रतिशत
2	ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक और 45 लाख से कम है और ऊपर क्रम संख्या (1) में वर्णित किसी नगर के सिवाय तथा गोवा राज्य में कोई नगर	न्यूनतम 1,475/- रूपए प्रतिमास और अधिकतम 6,620/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए वेतन का 8 प्रतिशत
(3)	अन्य स्थान	न्यूनतम 1,400/- रूपए प्रतिमास और अधिकतम 6,370/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए वेतन का 7 प्रतिशत

टिप्पण.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिये,–

(i) जनसंख्या के आंकडे नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे;

(ii) नगरों में उनकी नगर बस्तियां सम्मिलित है; और

(iii) "वेतन" से अभिप्रेत है

(क) मूल वेतन जिसके अंतर्गत नियम 7 में निर्दिष्ट मूल वेतन के अतिरिक्त भी है;

(ख) नियम 6 के उपनियम (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट विशेष भता;

(ग) नियम 19क में यथाउपबंधित सहायकों और आशुलिपिकों के वेतनमान मे संदेय स्नातक भत्ता;

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

(घ) भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम 1988 के नियम 2 या नियम 4 में निर्दिष्ट विशेष भत्ता;

(ङ) नियम 19घ के अधीन उपबंधित नियत वैयक्तिक भत्ता।"।

7. मूल नियमों के नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : -

"**10.नगर प्रतिकरात्मक भता.-** वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारियों को संदेय नगर प्रतिकरात्मक भता नीचे दी गई सारणी के अनुसार निर्दिष्ट की जाएगी:-

सारणी

क्र. सं.	तैनाती का स्थान	नगर प्रतिकरात्मक भत्ते की दरें
(1)	(2)	(3)
1.	मुंबई कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नवी मुंबई, हैदरावाद, बैंगलुरू एवं 45 लाख और इससे अधिक की जनसंख्या के अन्य शहर	न्यूनतम 510/- रूपए प्रतिमास और अधिकतम 1,555/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए वेतन का 3 प्रतिशत
2.	ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक और 45 लाख से कम है और ऊपर क्रम संख्या (i) में वर्णित नगरों को छोड़कर और गोवा राज्य में कोई नगर	न्यूनतम 420/- रूपए प्रतिमास और अधिकतम 1,460/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए वेतन का 2.5 प्रतिशत
3.	ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 5 लाख और उससे अधिक हैं किंतु 12 लाख से अधिक नहीं है, राज्यों की ऐसी राजधानियां जिनकी आबादी 12 लाख से अधिक नहीं है, चडीगढ, मोहाली, पुडूचेरी, पोर्टब्लेयर और पंचकुला	न्यूनतम 310/- रूपए प्रतिमास और अधिकतम 1,255/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए वेतन का 2 प्रतिशत

टिप्पण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(i) जनसंख्या के आंकडे नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे;

(ii) नगरों मे उनकी शहरी जनसंख्या सम्मिलित होगी; और

(iii)"वेतन" से वर्ग 4 के कर्मचारियों को नियम 7 में निर्दिष्ट संदेय मूल वेतन, मूल वेतन में वृद्धियां और नियम 6 के उपनियम (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट विशेष भत्ता अभिप्रेत है।"।

8. मूल नियमों के नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"11. पर्वतीय स्थान भत्ता.- वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ता नीचे दी गई सारणी के अनुसार निर्दिष्ट की जाएगी:-

सारणी

क्र. सं.	स्थान	दर
(1)	(2)	(3)
1.	औसत समुद्र तल से 1500 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तैनात	अधिकतम 1,000/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए मूल वेतन का 2.5 प्रतिशत की दर से
2.	औसत समुद्र तल से 1000 मीटर और उससे अधिक किंतु 1500 मीटर से कम की ऊंचाई पर अवस्थित स्थानों, मेरकारा पर और ऐसे स्थानों पर तैनात जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप से केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा उनके कर्मचारियों के लिए "पर्वतीय स्थानों" के रूप में घोषित किया गया है।	अधिकतम 790/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए मूल वेतन का 2 प्रतिशत की दर से

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

3.	समुद्र तल से 750 मीटर से अन्य ऊंचाई पर स्थित कि ऐसे स्थानों पर जो समुद्र तल से 1000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाले पर्वतों से घिरे हुए है और उन्हीं पर्वतों में होकर वहां तक पहुंचा जा सकता है, तैनात है।	अधिकतम 790/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए मूल वेतन का 2 प्रतिशत की दर से "।

9. मूल नियमों के नियम 13क के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

"**13ख. वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों को विशेष भत्ता.-** (1) वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों को देय विशेष भत्ते की राशि नीचे दी गई सारणी के अनुसार निर्दिष्ट की जाएगी:-

सारणी

क्रं. सं.	वर्ग 3 / वर्ग 4 के कर्मचारी	प्रति माह भत्ता (रु.)
(1)	(2)	(3)
1.	उच्चतर श्रेणी सहायक	3,000
2.	आशुलिपिक	2,500
3.	सहायक	2,000
4.	अभिलेख लिपिक	1,800
5.	ड्राइवर	1,800
6.	चपरासी	1,600
7.	झाडूकस	1,500

(2) यह भत्ता महंगाई भत्ते की गणना के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा, लेकिन भविष्य निधि, उपदान (ग्रेच्युटी), मकान किराया भत्ता, पेंशन, विशेष अवकाश नकदीकरण और प्रोन्नति के संबंध में वेतन के नियतन के प्रयोजनों के लिए नहीं गिना जाएगा।

10. मूल नियमों के नियम 19क, "(ख) स्नातक भत्ता " शीर्षक के अधीन ,-

(i) खंड (i) में "535/- रूपये" अंक और अक्षर के स्थान पर "755/- रूपये" अंक और शब्द रखा जाएगा ;

(ii) खंड (ii) में,- (अ) उपखंड (क) में, "1,000/- रूपए" अंकों और अक्षर के स्थान पर "1,625/- रूपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(आ) उपखंड (ख) में, "510/- रूपए" अंकों और अक्षर के स्थान पर "830/- रूपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(इ) उपखंड (ग) में, "1,000/- रूपए" अंकों और अक्षर के स्थान पर "1,625/- रूपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

11. मूल नियमों के नियम 19ङ में "460/- रूपए" अंकों और अक्षर के स्थान पर "680/- रूपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

12. मूल नियमों के नियम 19च में "185/- रूपए" अंकों और अक्षर के स्थान पर "265/- रूपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. स. S-11012/03/2018-Ins. I]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

स्पष्टीकारक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का कोई कर्मचारी पर अधिसूचना द्वारा भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना नहीं है।

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण्, भाग II, खण्ड 3 उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 357(अ), तारीख 11 अप्रैल, 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्न राजपत्रों द्वारा संशोधित किए गए:-

(1) सा.का.नि. सं. 18(अ), तारीख 7 जनवरी,1986;

(2) सा.का.नि. सं. 1076 (अ), तारीख 11 सितंबर, 1986;

(3) सा.का.नि. सं. 961 (अ), तारीख 7 दिसम्बर 1987;

(4) सा. का.नि. सं. 870(अ), तारीख 22 अगस्त 1988;

(5) सा. का.नि. सं. 873 (अ), तारीख 22 अगस्त 1988

(6) सा.का.नि. सं. 515(अ), तारीख 12 मई 1989;

(7) सा.का.नि. सं. 509 (अ), तारीख 24 मई 1990;

(8) सा. का.नि. सं. 620 (अ), तारीख 6 जुलाई, 1990;

(9) सा.का.नि. सं. 628 (अ), तारीख 10 जुलाई,1990;

(10) सा.का.नि. सं. 338(अ), तारीख 11 जुलाई,1991;

(11) सा.का.नि. सं. 697अ),तारीख 25 नवम्बर 1991;

(12) सा.का.नि. सं. 46(अ), तारीख 4 फरवरी 1993;

(13) सा.का.नि. सं. 47(अ), तारीख 4 फरवरी 1993;

(14) सा.का.नि. सं.746(अ), तारीख 13 दिसम्बर 1993;

(15) सा.का.नि. सं. 55(अ), तारीख 2 फरवरी 1994;

(16) सा.का.नि. सं. 595(अ), तारीख 30 जून 1995;

(17) सा.का.नि. सं. 669(अ), तारीख 27 सितंबर 1995;

(18) सा.का.नि. सं. 96(अ), तारीख 16 फरवरी 1996

(19) सा.का.नि. सं. 102(अ), तारीख 22 फरवरी 1996;

(20) सा.का.नि. सं. 261(अ), तारीख 22 मई 1998;

(21) सा.का.नि. सं. 532(अ), तारीख 27 अगस्त 1998;

(22) सा.का.नि. सं. 445(अ), तारीख 18 जून 1999;

(23) सा.का.नि. सं. 611(अ), तारीख 30 अगस्त 1999;

(24) सा.का.नि. सं. 552(अ), तारीख 22 जून 2000;

(25) सा.का.नि. सं. 289(अ), तारीख 27 अप्रैल 2004;

(26) सा.का.नि. सं. 561(अ), तारीख 5 सितंबर 2005;

(27) सा.का.नि. सं. 306(अ), तारीख 25 अप्रैल 2007;

(28) सा.का.नि. सं.72 (अ), तारीख 6 दिसम्बर 2008;

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

(29) सा.का.नि. सं. 826 (अ), तारीख 8 अक्टूबर 2010,

(30) सा.का.नि. सं. 30(अ), तारीख 14 जनवरी, 2016,

(31) सा.का.नि. सं. 195(अ), तारीख 26 फरवरी, 2016,

(32) सा.का.नि. सं. 1087(अ), तारीख 24 नवंबर, 2016 और

(33) सा.का.नि. सं. 404(अ), तारीख 31 मई, 2019।

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2021

G.S.R. 270(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, namely:—

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2017.

(3) These rules shall be applicable to those Class III and Class IV employees who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation as on or after the 1st August, 2017:

Provided that where any Class III or Class IV employee gives a notice in writing to the Corporation, within a period as specified by the Corporation, expressing his option to be governed by the provisions of these rules with effect from a date which is not earlier than 1st August, 2017 and not later than the date of publication of this notification in the Official Gazette, then the Corporation may, by order, permit such employee to be governed by these rules with effect from the said date and no arrears for the period prior to the date so opted shall be payable to such employee:

Provided further that a Class III or Class IV employee whose resignation had been accepted or whose services had been terminated under Rule 39 of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 during the period from 1st August, 2017 to the date of publication of this notification in the Official Gazette shall not be eligible for the arrears on account of revision under these rules.

(4) Nothing contained in these rules shall entitle an employee to claim overtime wages higher than what he had been entitled to prior to the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. In the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985 (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:—

" 4. Scales of pay and other allowances of Class III employees.—

(1) The scales of pay of Class III employees shall be as specified in the table below:

TABLE

Class III employee posts	Scale of pay
(1)	(2)
Higher Grade Assistants	Rs. 35,310-2,370(3)-42,420-2,645(15)-82,095
Stenographers	Rs. 29,530-1,690(4)-36,290-1,960(2)-40,210-2,390(3)-47,380-2,480(2)-52,340-2,645(8)-73,500
Assistants, Assistants appointed as Receiving and	Rs. 23,465-1,375(1)-24,840-1,500(2)-27,840-

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

Paying Cashiers, Projectionists and Microprocessor Operators	1,690(5)-36,290-1,960(2)-40,210-2,390(3)-47,380-2,480(2)-52,340-2,645(5)-65,565
Record Clerks	Rs. 21,740-775(4)-24,840-1,220(3)-2,8500-1,375(2)-31,250-1,390(6)-39,590-1,500(6)-48,590”;

(2) In addition to the scales of pay specified in sub-rule (1), the following categories of employees shall receive a special allowance to the extent specified below:—

(A) Higher Grade Assistants appointed as Internal Audit Assistants

(a) For the first five years — Rs. 1,525/- per month

(b) For the next five years — Rs. 1,740/- per month

(c) For subsequent years — Rs. 1,880/- per month

(B) Assistants appointed as receiving and paying Cashiers — Rs. 3,530/- per month:

Provided that the said allowance shall not be reckoned for the purpose of calculation of dearness allowance, Provident Fund, gratuity, House Rent Allowance, pension, encashment of privilege leave and fixation of pay upon promotion.”;

(3) Functional Allowance shall be paid to the following categories of Class III employees:—

(a) Banda, Duplicating and Xerox Machine Operators in the scale of Pay of Record Clerks — Rs. 215/- per month

(b) Microprocessor Operators in the scale of Assistants — Rs. 405/- per month

(c) Programmers in the scale of pay of Higher Grade Assistants — Rs. 1,270/- per month:

Provided that an existing Class III employee, who is in receipt of any Functional Allowance as on the 31st day of July, 2017 shall continue to draw the same so long as he is holding the post to which the Functional Allowance is attached, to be absorbed in the future wage revision.”.

(a) For rule 6 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely:—

“6. Scales of pay of Class IV subordinate employees.—

(1) The scales of pay of Class IV subordinate employees shall be as specified in the table below:—

TABLE

Class IV employee posts	Scale of pay
(1)	(2)
Drivers	Rs. 21,740-980(6)-27,620-1,015(1)-28,635-1,220(12)-43,275
Sepoys, Hamals, Head Peons, Liftmen and Watchmen	Rs. 18,930-775(5)-22,805-825(8)-29,405-980(1)-30,385-1,015(2)-32,415-1,220(3)-36,075
Sweepers and Cleaners	Rs. 17,950-775(5)-21,825-825(8)-28,425-980(6)-34,305.”.

(2) In addition to the scales of pay of Class IV subordinate employees specified in sub-rule (1),—

(a) the following categories of employees shall receive special allowance to the extent specified below, which shall count as basic pay for all purposes:

Head Peons, Liftmen and Watchmen — Rs. 1,620/- per month;

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

(b) Franking Machine Operators in the scale of Sepoy shall be paid a Functional Allowance of Rs. 170/- per month.".

4. In clause (b) of rule 7 of the principal rules, after the words "maximum of six such additions", the words "and after two years from availing the sixth such addition, he may be granted one further addition to the basic pay equal to the last increment drawn by him in the scale of pay" shall be inserted.

5. In rule 8 of the principal rules,—

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) The scale of Dearness Allowance of Class III and Class IV employees shall be determined as under:

(i) Index: All India Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers

(ii) Base: Index No. 6352 in the series 1960 = 100

(iii) Rate: For every four points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index above 6352 points, a Class III or a Class IV employee shall be paid dearness allowance at the rate of 0.08 % of Pay

***Explanation.*—**For the purposes of this clause, "Pay" means—

(i) the basic pay;

(ii) additions to basic pay referred to in rule 7;

(iii) special allowance referred to in clause (a) of sub-rule (2) of rule 6;

(iv) Graduation Allowance payable to the employees in the scale of pay of Assistants and Stenographers as provided in rule 19A; and

(v) special allowance referred to in rule 2 or rule 4 of the Life Insurance Corporation of India Class III Employees (Special Allowance for Passing Examination) Rules, 1988.";

(b) in sub-rule (2), for the figures and words "4708 points in the sequence of 4708-4712-4716-4720", the figures and words "6352 points in the sequence of 6352-6356-6360-6364" shall be substituted;

6. In rule 9 of the principal rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) The House Rent Allowance of Class III and Class IV employees except those who have been allotted residential accommodation by the Corporation, shall be as specified in the table below:—

TABLE

Sl. No.	Place of Posting	Rate of House Rent Allowance
(1)	(2)	(3)
1.	Cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurugram, Navi Mumbai, Hyderabad, Bengaluru and other cities with population of 45 lakh and above	10% of Pay, subject to the minimum of Rs. 1,720/- per month and the maximum of Rs. 7,840/- per month.
2.	Cities with population exceeding 12 lakh but less than 45 lakh, and except those mentioned at serial number 1, and any city in the State of Goa	8% of Pay, subject to the minimum of Rs. 1,475/- per month and the maximum of Rs. 6,620/- per month.
3.	Other places	7% of Pay, subject to the minimum of Rs. 1,400/- per month and the maximum of Rs. 6,370/- per month.

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

Note.— for the purposes of this sub-rule,—

(i) the population figures shall be as per the latest Census Report;

(ii) cities shall include their urban agglomerations; and

(iii) "pay" means—

(a) basic pay including additions to basic pay referred to in rule 7;

(b) special allowance referred to in clause (a) of sub-rule (2) of rule 6;

(c) graduation allowance payable in the scale of pay of Assistant and Stenographers as provided in rule 19A;

(d) special allowance referred to in rule 2 or rule 4 of the Life Insurance Corporation of India Class III Employees (Special Allowance for Passing Examination) Rules, 1988;

(e) Fixed Personal Allowance provided under rule 19D.".

7. For rule 10 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"**10. City Compensatory Allowance.—** The City Compensatory Allowance payable to Class III and Class IV employees shall be as specified in the table below:—

TABLE

Sl. No.	Place of Posting	Rate of City Compensatory Allowance
(1)	(2)	(3)
1.	Cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurugram, Navi Mumbai, Hyderabad, Bengaluru and other cities with population of 45 lakh and above	3% of Pay, subject to the minimum of Rs. 510/- per month and the maximum of Rs. 1,555/- per month.
2.	Cities with population exceeding 12 lakh but less than 45 lakh, and except those mentioned at serial number 1, and any city in the State of Goa	2.5% of Pay, subject to the minimum of Rs. 420/- per month and the maximum of Rs. 1,460/- per month.
3.	Cities with population of five lakh and above but not exceeding 12 lakh, State capitals with population not exceeding 12 lakh, Chandigarh, Mohali, Puducherry, Port Blair, and Panchkula	2% of Pay, subject to the minimum of Rs. 310/- per month and the maximum of Rs. 1,255/- per month

Note.— For the purposes of this rule,—

(i) the population figures shall be as per the latest Census Report;

(ii) cities shall include their urban agglomerations; and

(iii) "Pay" means Basic Pay, Additions to Basic Pay under rule 7 and Special Allowance payable to Class IV under clause (a) of sub-rule (2) of rule 6.".

8. For rule 11 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"**11. Hill Allowance.—**The scales of Hill Allowance payable to Class III and Class IV employees shall be as specified in the table below:—

TABLE

Sl. No.	Places	Rates
(1)	(2)	(3)
1.	Posted at a place situated at a height of 1,500 metres or more above the mean sea level	At the rate of 2.5% of Basic Pay subject to maximum of Rs. 1,000/- per month

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

2.	Posted at a place situated at a height of 1,000 metres or more but less than 1,500 metres above the mean sea level, or at Mercara, or at a place which is specifically declared as a "hill station" by the Central Government or the State Government concerned for their employees	At the rate of 2% of Basic Pay subject to maximum of Rs. 790/- per month
3.	Posted at a place situated at a height of not less than 750 metres or more above the mean sea level and which is surrounded by and accessible only through hills having a height of 1,000 metres or more above the mean sea level	At the rate of 2% of Basic Pay subject to maximum of Rs. 790/- per month."

9. After rule 13A of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely:—

"**13B. Special Allowance to Class III and Class IV employees**.—(1) The amount of Special Allowance payable to Class III and Class IV employees shall be as specified in the table below:—

TABLE

Sl. No.	Class III / Class IV employees	Allowance per month (Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	Higher Grade Assistant	3,000
2.	Stenographer	2,500
3.	Assistant	2,000
4.	Record Clerk	1,800
5.	Driver	1,800
6.	Peon	1,600
7.	Sweeper	1,500

(2) The allowance under this rule shall be reckoned for the purpose of calculation of dearness allowance but shall not be reckoned for the purposes of Provident Fund, gratuity, House Rent Allowance, pension, encashment of privilege leave and fixation of pay upon promotion."

10. In rule 19A of the principal rules, under the heading "(b) Graduation Allowance"—

(i) in clause (i), for the letters and figures "Rs 535/-", the letters and figures "Rs. 755/-" shall be substituted;

(ii) in clause (ii), —(A) in sub-clause (a), for the letters and figures "Rs 1000/-", the letters and figures "Rs. 1,625/-" shall be substituted;

(B) in sub-clause (b), for the letters and figures "Rs 510/-", the letters and figures "Rs. 830/-" shall be substituted;

(C) in sub-clause (c), for the letters and figures "Rs 1000/-", the letters and figures "Rs. 1,625/-" shall be substituted;

11. In rule 19E of the principal rules, for the letters and figures "Rs. 460/-", the letters and figures "Rs. 680/-" shall be substituted.

12. In rule 19F of the principal rules, for the letters and figures "Rs 185/-", the letters and figures "Rs. 265/-" shall be substituted.

[F. No. S-11012/03/2018-Ins. I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

EXPLANATORY MEMORANDUM

It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 357(E), dated the 11th April, 1985 and were subsequently amended *vide* the following notifications:

(1) G.S.R. 18(E), dated the 7th January, 1986

(2) G.S.R. 1076(E), dated the 11th September, 1986

(3) G.S.R. 961(E), dated the 7th December, 1987

(4) G.S.R. 870(E), dated the 22nd August, 1988

(5) G.S.R. 873(E), dated the 22nd August, 1988

(6) G.S.R. 515(E), dated the 12th May, 1989

(7) G.S.R. 509(E), dated the 24th May, 1990

(8) G.S.R. 620(E), dated the 6th July, 1990

(9) G.S.R. 628(E), dated the 10th July, 1990

(10) G.S.R. 338(E), dated the 11th July, 1991

(11) G.S.R. 697(E), dated the 25th November, 1991

(12) G.S.R. 46(E), dated the 4th February, 1993

(13) G.S.R. 47(E), dated the 4th February, 1993

(14) G.S.R. 746(E), dated the 13th December, 1993

(15) G.S.R. 55(E), dated the 2nd February, 1994

(16) G.S.R. 595(E), dated the 30th June, 1995

(17) G.S.R. 669(E), dated the 27th September, 1995

(18) G.S.R. 96(E), dated the 16th February, 1996

(19) G.S.R. 102(E), dated the 22nd February, 1996

(20) G.S.R. 261(E), dated the 22nd May, 1998

(21) G.S.R. 532(E), dated the 27th August, 1998

(22) G.S.R. 445(E), dated the 18th June, 1999

(23) G.S.R. 611(E), dated the 30th August, 1999

(24) G.S.R. 552(E), dated the 22nd June, 2000

(25) G.S.R. 289(E), dated the 27th April, 2004

(26) G.S.R. 561(E), dated the 5th September, 2005

(27) G.S.R. 306(E), dated the 25th April,2007

(28) G.S.R. 72(E), dated the 6th February, 2008

(29) G.S.R. 826(E), dated 8th October, 2010

(30) G.S.R. 30(E), dated 14th January, 2016

(31) G.S.R. 195(E), dated 26th February, 2016

(32) G.S.R. 1087(E), dated 24th November, 2016

(33) G.S.R. 404(E), dated 31st May, 2019

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 271(अ).—केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) संशोधन नियम 2021 है ।

(2) ये 1 अगस्त, 2017 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

(3) ये नियम उन वर्ग 3 कर्मचारियों को लागू होंगे, जो 1 अगस्त, 2017 को या उसके पश्चात निगम के स्थायी स्थापन में पूर्णकालिक वैतनिक सेवा में थे :

2. भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम, 1988 के नियम 2 में, सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

"**सारणी**

क्रम.सं	वृत्तिक/तकनीकी परीक्षा	विशेष भत्ता
(1)	(2)	(3)
1.	भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई की परीक्षा: (क) लाईसेन्सियेट (ख) असोशिएटशिप (ग़) अध्येतावृत्ति	 (क) 555/- रुपए प्रतिमास (ख) 1,505/- रुपए प्रतिमास (ग) 2,575/- रुपए प्रतिमास
2.	इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ ऐक्चुयरीज, लंदन की परीक्षाएं।	प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने पर 555/- रुपए प्रतिमास
3.	इंस्टिट्यूट ऑफ़ ऐक्चुयरीज ऑफ़ इंडिया की परीक्षाएं।	प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने पर 555/- रुपए प्रतिमास
4.	भारतीय चार्टर्ड अकाऊन्टेंट संस्थान तथा भारतीय लागत और संकर्म अकाउन्टेंट संस्थान की परीक्षाएं : (क) इंटरमीडिएट (ख) अंतिम समूह 'क' या 'ख' (ग) अंतिम समूह 'क' और 'ख'	 (क) 1,080/- रुपए प्रतिमास (ख) 1,845/- रुपए प्रतिमास (ग) 2,575/- रुपए प्रतिमास
5.	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से कारबार प्रशासन में मास्टर	2,575/- रुपए प्रतिमास
6.	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की अंतिम परीक्षा पास करने पर ।	2,575/- रुपए प्रतिमास"

[फा. स. S-11012/03/2018-Ins. I]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

स्पष्टीकारक ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, प्रसाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) की अधिसूचना संख्यांक 491(अ), तारीख 22 अप्रैल, 1988 द्वारा प्रकाशित किये गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किये गए थे:

1. सा.का.नि.सं. 516(अ), तारीख 12 मई, 1989;
2. सा.का.नि.सं. 621(अ), तारीख 6 जुलाई 1990;
3. सा.का.नि.सं. 339(अ), तारीख 11 जुलाई, 1991;
4. सा.का.नि.सं. 109(अ), तारीख 1 मार्च 1996;
5. सा.का.नि.सं. 556(अ), तारीख 22 जून 2000;
6. सा.का.नि.सं. 56 (अ), तारीख 22 जनवरी, 2002;
7. सा.का.नि.सं. 563 (अ), तारीख 5 सितंबर, 2005,
8. सा.का.नि.सं. 828 (अ), तारीख 8 अक्टूबर, 2010;
9. सा.का.नि.सं. 32 (अ), तारीख 14 जनवरी, 2016.

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2021

G.S.R. 271(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Class III Employees (Special Allowance for Passing Examination) Rules, 1988, namely:—

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class III Employees (Special Allowance for Passing Examination) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2017.

(3) These rules shall be applicable to Class-III employees who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation as on or after the 1st day of August 2017:

Provided that a Class III employee, whose resignation has been accepted or whose services had been terminated under rule 39 of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 during the period from the 1st August 2017 to the date of publication of this notification in the Official Gazette, shall not be eligible for arrears on account of revision under these rules.

2. In the Life Insurance Corporation of India Class III employees (Special Allowance for passing Examinations) Rules 1988, in rule 2, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:—

"TABLE

Sl.No.	Professional/Technical Examination	Special Allowance
(1)	(2)	(3)
1.	Examination of the Insurance Institute of India, Mumbai: (a) Licentiate (b) Associateship (c) Fellowship	 (a) Rs. 555 per month (b) Rs. 1,505 per month (c) Rs. 2,575 per month

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

2.	Examination of the Institute and Faculty of Actuaries, London.	Rs. 555 per month on passing each subject
3.	Examinations of the Institute of Actuaries of India.	Rs. 555 per month on passing each subject.
4.	Examinations of the Institute of Chartered Accountants of India and the Institute of Cost and Works and Accountants of India: (a) Intermediate (b) Final Group 'A' or 'B' (c) Final Group 'A' and 'B'	 (a) Rs. 1,080 per month (b) Rs. 1,845 per month (c) Rs. 2,575 per month
5.	Master of Business Administration of a recognized University/ Institution.	Rs. 2,575 per month
6.	On passing Final Examination of the Institute of Company Secretaries of India.	Rs. 2,575 per month".

[F. No. S-11012/03/2018-Ins. I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 491(E), dated the 22nd April, 1988 and were subsequently amended *vide* the following notifications:

(1) G.S.R. 516(E), dated the 12th May, 1989

(2) G.S.R 621(E), dated the 6th July, 1990

(3) G.S.R. 339(E), dated the11th July,1991

(4) G.S.R. 109(E), dated the 1st March, 1996

(5) G.S.R. 556(E), dated the 22nd June, 2000

(6) G.S.R. 56(E), dated the 22nd January, 2002

(7) G.S.R. 563(E), dated the 5th September, 2005

(8) G.S.R. 828(E), dated the 8th October, 2010

(9) G.S.R. 32(E), dated 14th January, 2016

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 272(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकिक योग्यता के विभागीय विकास के लिए विशेष भत्ता) नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

1. (i) **संक्षिप्त नाम** : इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकिक योग्यता के विभागीय विकास के लिए विशेष भत्ता) संशोधन विनियम, 2021 है।

(ii) **लागू होना:** ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकिक योग्यता के विभागीय विकास के लिए विशेष भत्ता) नियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में,—

(i) सारणी 1 के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

"सारणी-1

उत्तीर्ण प्रश्न पत्रों की सं.	**विशेष भत्ता प्रतिमास (रुपये में)**
प्रथम तीन विषयों के लिए	700 प्रति विषय
अगले तीन विषयों के लिए	1,000 प्रति विषय
अगले तीन विषयों के लिए	1,500 प्रति विषय
अगले तीन विषयों के लिए	2,000 प्रति विषय
अगले विषय के लिए	3,000

(ii) सारणी 2 के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

"सारणी-2

(यदि कोर समूह में तैनात है)

		विशेष भत्ता (दर प्रतिमास रूपये में)		केन्द्रीय कार्यालय कोर समूह के लिए अतिरिक्त नियत भत्ता (दर प्रतिमास रूपये में)		
क्र. सं.	उत्तीर्ण/छूट प्राप्त विषयों की सं. (2019 के नए पाठ्यक्रम के अनुसार)	केन्द्रीय कार्यालय कोर समूह में पदाधिकारियों के लिए	क्षेत्रीय कार्यालय कोर समूह में पदाधिकारियों के लिए	केन्द्रीय कार्यालय में बीमांकिक विभाग के प्रधान के लिए	पदाभिहीत बीमांकक के रूप में नामनिर्दिष्ट पदाधिकारियों के लिए	मंडल प्रबंधक और उससे ऊपर के काडर में पदाधिकारियों के लिए
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
(1)	छह	19,300	9,600	1,930	-	965
(2)	सात	22,700	10,700	2,270	-	1,135
(3)	आठ	26,600	12,800	2,660	-	1,330
(4)	नौ	33,300	16,000	3,330	-	1,665
(5)	दस	40,000	19,200	4,000	-	2,000
(6)	ग्यारह	46,600	22,400	4,660	-	2,330
(7)	बारह	60,000	26,600	6,000	-	3,000
(8)	सभी विषय उत्तीर्ण	1,00,000	32,000	10,000	66,600	5,000

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

स्पष्टीकरण, -

(i) "पदाभिहीत बीमाकंक" से निगम का ऐसा पूर्णकालिक अधिकारी अभिप्रेत है जो इंस्टिट्यूट ऑफ़ ऐक्चुयरीज ऑफ़ इंडिया या इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ ऐक्चुयरीज, लंदन का फेलो सदस्य है और जो अध्यक्ष द्वारा या पदाभिहीत बीमाकंकों के चयन के लिए अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाता है।

(ii) कोई कर्मचारी सारणी 2 के स्तम्भ (5) या स्तम्भ (6) या स्तम्भ (7) के अधीन विनिर्दिष्ट केवल एक अतिरिक्त नियत भत्ते, जो भी अधिक हो, के लिए ही हकदार होगा।"।

3. उक्त नियम के नियम 4 के उप-नियम (1) में "रुपये 1,00,000/- प्रति माह", शब्दों और अंकों के स्थान पर, "रुपये 1,25,000/- प्रति माह" शब्द और अंक रखे जाएंगे"।

[फा. स. S-11012/03/2018-Ins. I]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 55(अ), तारीख 22 जनवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उसमें सा.का.नि. 564(अ), तारीख 5 सितम्बर, 2005, सा.का.नि. 753(अ), तारीख 15 अक्तूबर, 2009, सा.का.नि. 334(अ), तारीख 12 मई, 2014 और सा.का.नि. 562(अ) तारीख 8 जून, 2017 द्वारा संशोधन किये गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2021

G.S.R. 272(E).—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Life Insurance Corporation of India (Special Allowance for In-House Development of Actuarial Capability) Rules, 2002, namely:—

1. Short title, commencement and application:—

(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Special Allowance for In-House Development of Actuarial Capability) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Life Insurance Corporation of India (Special Allowance for In-House Development of Actuarial Capability) Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,—

(i) for Table 1, the following Table shall be substituted, namely:—

"**TABLE-1**

No. of papers passed/cleared	Special Allowance per month (in rupees)
1st three papers	700 per subject
Next three papers	1,000 per subject
Next three papers	1,500 per subject
Next three papers	2,000 per subject
Next paper	3,000"

(ii) for Table 2, the following Table shall be substituted, namely:—

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

"**TABLE-2**

(If posted in the Core-Group)

Sl. No.	Number of papers passed/ exempted (as per new curriculum of 2019)	Special Allowance (rate per month in Rs.)		Additional fixed allowance for Central Office Core Group (rate per month in Rs.)		
		For officials in Central Office Core Group	For officials in Zonal Office Core Group	For Head of the Actuarial Department in Central Office	For officials nominated as Designated Actuary	For officials in the cadre of Divisional Manager and above
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	6	19,300	9,600	1,930	-	965
2.	7	22,700	10,700	2,270	-	1,135
3.	8	26,600	12,800	2,660	-	1,330
4.	9	33,300	16,000	3,330	-	1,665
5.	10	40,000	19,200	4,000	-	2,000
6.	11	46,600	22,400	4,660	-	2,330
7.	12	60,000	26,600	6,000	-	3,000
8.	All subjects passed/cleared	1,00,000	32,000	10,000	66,600	5,000

Explanation 1.— "Designated Actuary" means a full-time officer of the Corporation, who is a Fellow Member of the Institute of Actuaries, India or Institute of Actuaries, London and who is nominated as a Designated Actuary by the Chairman or an officer or committee authorised by the Chairman for selection as Designated Actuary.

Explanation 1.— An employee shall be entitled only for one Additional Fixed Allowance specified under column (5) or (6) or (7) of Table 2, whichever is higher.".

3. In sub-rule (1) of rule 4 of the said rules, for the letters, figures and words "Rs. 1,00,000 per month", the letters, figures and words "Rs. 1,25,000 per month" shall be substituted.

[F. No. S-11012/03/2018-Ins. I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published *vide* G.S.R. 55(E), dated the 22nd January, 2002 and subsequently amended *vide* G.S.R. 564(E), dated the 5th September, 2005, G.S.R. 753(E) dated 15th October, 2009, G.S.R. 334(E), dated 12th April, 2014, and G.S.R. 5321(E) dated the 8th June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 273(अ).—केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम (विशेष क्षेत्र भत्ता) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखत नियम बनाती है, अर्थात् :-

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (विशेष क्षेत्र भत्ता)

संशोधन नियम, 2021, है ।

(2) ये 1 अगस्त, 2017 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

(3) ये नियम उन सभी कर्मचारियों को लागू होंगे, जो 1 अगस्त 2017 को या उसके पश्चात निगम के स्थायी स्थापन में पूर्णकालिक वैतनिक सेवा में थे:

परंतु यह और कि 1 अगस्त, 2017 से इस राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक की अवधि के दौरान ऐसे कर्मचारी जिनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया था या भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृंद) नियम, 1960 के नियम 39 के अधीन जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, इन नियमों के अधीन पुनरीक्षण मद्दे बकायों का पात्र नहीं होंगे ।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम (विशेष क्षेत्र भत्ता) नियम 1988 , नियम 2 में,-

(क) "अगस्त 2012" शब्द और अंक के स्थान पर, "अगस्त 2017" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
(ख) स्थित सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात:

सारणी			
विशेष क्षेत्र का नाम		मूल वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष क्षेत्र भत्ते की दर	
		रु. [42430] तक	रु. [42430] से ऊपर
1		2	3
1.	**मिजोरम**		
	(क)मिजोरम का चिम्तुपई एवं मिज़ोरम के लुंगली जिला में लुंगली नगर से 25 किलोमीटर के परे के क्षेत्र	4000	5200
	(ख) सम्पूर्ण लुंगली जिला, मिज़ोरम के लुंगाली नगर से 25 किलोमीटर के परे क्षेत्र को छोड़कर	3200	4200
	(ग) मिजोरम का सम्पूर्ण आईजावल जिला	2400	3000
2.	**नागालैंड**	3200	4200
3.	**अंदमान और निकोबार द्वीप समूह**		
	(क) दक्षिणी अंदमान (जिसके अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर भी है)	3200	4200
	(ख) उत्तरी और मध्य अंदमान, लघु अंदमान, निकोबार और नारकोंदम द्वीप समूह	4000	5200
4.	**सिक्किम**	4000	5200
5.	**लक्षद्वीप**	4000	5200
6.	**असम**	640	800
7.	**मेघालय**	640	800
8.	**त्रिपुरा**		
	(क) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया त्रिपुरा का कठिन क्षेत्र	3200	4200
	(ख)कठिन क्षेत्र को छोड़कर पूरे त्रिपुरा	2400	3000

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

9.	**मणिपुर**	2400	3000
10.	**अरुणाचल प्रदेश**		
	(क) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया अरुणाचल प्रदेश का कठिन क्षेत्र	4000	5200
	(ख) कठिन क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण अरुणाचल प्रदेश	3200	4200
11.	**जम्मू - कश्मीर**		
	(i) कठुआ जिला (क)नीआबत बानी; (ख)लोही (ग)मल्हार; (घ)मछोडी	4000	5200
	(ii) उधमपुर जिला (क) डूडू बसंतगढ़; (ख)लेडेर भामग इलका; (ग)ठाकरकोटे; (घ)नागोट	4000	5200
	तहसील महोने		
	(i)कंबन साइड से गूल तक के क्षेत्रों और केयासी साइड से अर्नास के क्षेत्रों के लिए	3200	4200
	(ii) शेष क्षेत्रों के लिए	4000	5200
	(iii) डोडा जिला		
	(क)किश्तवाड़ तहसील में पद्देर इलाके (ख)किश्तवाड़ तहसील में नीआबत नौगाम	4000	5200
	(iv) लेह जिला		
	(क)जन्सकार, नोयामा और नोबरे (ख)जिले में अन्य सभी स्थान	4000	5200
	(v) बारामुला जिला		
	(क) संपूर्ण गुरेज़-नीआबत, तंगदार उपखंड और केरन इलाका	4000	5200
	(ख) मैतचिल	3200	4200
	(vi) पुंछ और राजौरी जिलें में पुंछ और राजौरी जिला क्षेत्र जिनके अंतर्गत पुंछ और राजौरी शहर नहीं है तथा दोनों जिलों में सुंदरबानी और आँय नगर क्षेत्र	2400	3000
	(vii) वे क्षेत्र जो उपरोक्त (i) से (vi) में सम्मिलित नहीं हैं, किन्तु जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 किलोमीटर की दूरी के भीतर या ऐसे स्थानों पर है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा	2400	3000

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

	अपने कर्मचारिवृंद के लिए समय-समय पर सीमा भत्तों के लिए अर्हित घोषित किया जाए ।		
12.	**हिमाचल प्रदेश**		
	1. चंबा जिला		
	(क)पांगी उपखंड, भरमौर तहसील, बडगाँव, बाजोल, देओल कुगती, नयागाम और टुंडाह पंचायतें, जगत ग्राम पंचायत के घाटू ग्राम, ग्राम पंचायत चौहट्टा का कनरासी	4000	5200
	(ख) भरमौर तहसील ऊपर (क) में दिये गए पंचायतों और गांवों को छोड़कर	3200	4200
	(ग) भटियात तहसील का झंडरु पंचायत क्षेत्र, चुहा तहसील, बनीखेत मुख्य सहित डलहौज़ी शहर, चुराह तहसील, मुनार पंचायत और बलज परयाना	2400	3000
	2. किन्नौर जिला		
	(क)असरंग, चितकुल और हंगो कुनो/चरंग पंचायत, 15/20 क्षेत्र जिसमें छोटा खम्बा, नाथपा और रुपी के ग्राम पंचायत शामिल हैं, ऊपर निर्दिष्ट पंचायती क्षेत्रों को छोड़कर पूह उपखंड	4000	5200
	(ख)उपरोक्त (क) में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर अलावा सम्पूर्ण जिला	3200	4200
	3. कुल्लू जिला		
	(क)निर्माण तहसील का 15/20 क्षेत्र, जिसमें खरगा, कुशवार और सरगा ग्राम पंचायत शामिल हैं	4000	5200
	(ख) बाहरी-सराज क्षेत्र (जकात खाना तहसील के गाँव और निर्मण्ड तहसील में बरो को छोड़कर) और बाहरी-सराज और पंद्राबिस परगना को छोड़कर, जकात खाना के गाँव और निर्मण्ड तहसील में बरो और मलाना पंचायत क्षेत्र सहित सम्पूर्ण जिला क्षेत्र	2400	3000
	(ग) मनाली-उज्झी क्षेत्र, पारवती और लाग्ग घाटी और बंजार खंड	640	800
	4. लाहौल और स्पीति: लाहौल स्पीति जिले के संपूर्ण क्षेत्र	4000	5200
	5. शिमला जिला		
	(क) छब्बिस के परगने, रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें कूट, लबाना-सदाना, सरपारा और छड़ी-ब्रांदा की पंचायतें शामिल हैं।	4000	5200
	(ख) दोद्रा-क्वार तहसील, रामपुर तहसील के दरकाली का ग्राम पंचायत, काशापट तहसील और सरहान परगना का मुनीष, घोरी चैबीस	3200	4200
	(ग) शिमला शहर और उसके उप शहर (मशोबरा, दाली, तारादेवी, कसुम्बपती, जटोग और टूटू)	2400	3000

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

	(घ) देवोथि ग्राम पंचायत (तकलेश क्षेत्र) और नौबिस परगना और सरहान परगना के तीन कोटि और रामपुर तहसील का बाराबीस	2400	3000
	(ड) त्राह चोपाल तहसील, चोपाल तहसील और घोरिस, पंच गाँव,पत्स्नौ, कस्बा रामपुर और रामपुर तहसील के परगना के घोरी नोग	2400	3000
	6. कांगड़ा जिला		
	(क) पालमपुर उपखंड का छोटा भांगल और बड़ा भांगल क्षेत्र	3200	4200
	(ख) कांगड़ा जिले का धर्मशाला शहर और उसकी नगर सीमाओं के बाहर परंतु धर्मशाला शहर में अवस्थिति निम्न कार्यालय: - महिलाओं का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दारी, - यांत्रिक कार्यालय, रामनगर, - बाल कल्याण तथा नगर और शहरी योजना कार्यालय, साकोह, - निचले साकोह में सी.आर.एस.एफ. कार्यालय, - कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, दुगिआर, - एच.आर.टी.सी.कार्यशाला, सधेर, - प्रादेशिक मलेरिया कार्यालय, दरी, - फारेस्ट कारपोरेशन कार्यालय, शामनगर, - चाय फैक्टरी, दरी, - आई.पी.एच. उपखंड, डान, - बंदोबस्ती कार्यालय, शामनगर, - बिन्वा प्रोजेक्ट, शामनगर।	2400	3000
	(ग)पालमपुर स्थित एच.पी.के.वी.वी. कैंपस के साथ कांगड़ा जिले का पालमपुर शहर और उसकी नगरपालिका सीमाओं से बाहर अवस्थित किन्तु पालमपुर शहर में सम्मिलित निम्नलिखित कार्यालय: हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय कैंपस, कैटल डेवलपमेंट कार्यालय / जर्सी फार्म, बानुरी, सेरीकल्चर कार्यालय / इंडो-जर्मन एग्रीकल्चर वर्कशाप / एच.पी.पी.डब्ल्यू.डी. डिवीजन, बुंदला, इलेक्ट्रिकल सब-डिविजन, लोहाना, डी.पी.ओ. कॉर्पोरेशन, बुंदला, इलेक्ट्रिकल एच.पी.एस.ई.ई. डिवीजन, घुज्जर ।	2400	3000
	7. मंडी जिला		
	(क) करसोंग तहसील का महोग, सरहन, गोपालपुर, तेबन, पोखी नौज, खनोज, बागरा, सेंज महोदी खजोल, मंझ, पेखी और बालीधार पंचायत क्षेत्र, जोगिंदरनगर तहसील की छुहार घाटी, थुनाग तहसील के गाटो, बागराओ,	2400	3000

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

	छातरी, थच्चाधर-गरागोस, हैंन, कल्हानी, थामा, सिलिबगी, छेतधर, चनवार, टाची, जोहर, खोलानाल, सोमाचन, लोथ, जरयार, जंझेली और कलवानर की पंचायतें, थुनाग की पंचायतें, छोतधर, गरियास, सिलिबागी, थाना, धरमपुर बखंड की पंचायतें-बिंगा, कमलाह, सकलाना तनयार और तरखोलाह, सुंदर नगर तहसील की पंचायतें - बोही, बटवारा, धनियारा, पौरा, कोठी, सेरी और सोजा, जंझेली खंड, चचोइट तहसील		
	8. सिरमौर जिला		
	ट्रांस-गिरि भूभाग, बानी की पंचायतें, बखाली, (पच्छड़ तहसील), भारोग-भेनीरी (पाओंटा तहसील), बिड़ला (नाहन तहसील), डिब्बर (पच्छड़ तहसील), थाना कसोगा (नाहन तहसील)	2400	3000
	9. सोलन जिला: मंगल पंचायत क्षेत्र	2400	3000
	10. हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो उपरोक्त नौ जिले में शामिल नहीं हैं	640	800
13.	**उत्तराखंड:**		
	चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिले (लोहाघाट के क्षेत्र को मिलाकर)के अधीन क्षेत्र	4000	5200
14.	**पश्चिमी बंगाल: दक्षिण 24 परगना जिला**		
	सुंदरबन क्षेत्र (दक्षिण का डेंपियर, हॉज की रेखा), अर्थात्, भगतागुश, खली (रामपुरा), कुमिरमारी (बागना), झिंगा खली, सजनाखली, गोसावा, अमलामाथी (विद्या), कैनिंग, कुल्ताली, पियाली, नालगराहा, रायदीघी, भांची, पाथर प्रतिमा, भागबतपुर, सप्तमुखी, नामखाना, सिकरपुर, काकद्वीप, सागर, मौसीनी, कालीनगर, हरोआ, हिंगलगंज, बसंती, कुमारी, कुलटोला, घुशैगाटा (कुल्टी)	1000	1000

[फा. स. S-11012/03/2018-Ins. I]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

<u>स्पष्टीकारक ज्ञापन</u>

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना नहीं है ।

टिप्पण : मूल नियम भारत का राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3 उपबंध (i) में सा.का.नि.सं.492 (अ), तारीख 22 अप्रैल, 1988 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं 934(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 1989; सा.का.नि.सं. 322(अ), तारीख 10 मार्च, 1992; सा.का.नि. सं. 555(अ), तारीख 22 जून, 2000; सा.का.नि. सं. 818(अ), तारीख 2 नवंबर, 2001; सा.का.नि. सं. 562(अ), तारीख 5 सितंबर, 2005 सा.का.नि.सं. 827(अ) तारीख 8 अक्तूबर, 2010, और सा.का.नि.सं. 31 (अ) तारीख 14 जनवरी, 2016, द्वारा संशोधित किए गए थे ।

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2021

G.S.R. 273(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India (Special Area Allowance) Rules, 1988, namely:-

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Special Area Allowance) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2017.

(3) These rules shall be applicable to all employees who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation as on or after the 1st August, 2017:

Provided further that the employee whose resignation had been accepted or whose services had been terminated under rule 39 of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 during the period from the 1st August, 2017 to the date of publication of this notification in the Official Gazette, shall not be eligible for the arrears on account of revision.

2. In the Life Insurance Corporation of India (Special Area Allowance) Rules, 1988, in rule 2 —

(a) for the words and figures "August 2012", wherever they occur, the word and figures "August 2017"shall be substituted;

(b) for the Table, the following Table shall be substituted, namely;

TABLE			
Name of Special Area		**Rate of Special Area Allowances for Employees Drawing Basic Pay***	
		Upto Rs. [42430]	**Above Rs. [42430]**
1		**2**	**3**
1.	**MIZORAM**		
	(a) Chimptuipui District of Mizoram and areas beyond 25 Kms. from Lungali Town in Lunglei District of Mizoram	4000	5200
	(b) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 Kms. from Lunglei town of Mizoram	3200	4200
	(c) Throughout Aizawal District of Mizoram	2400	3000
2.	**NAGALAND**	3200	4200
3.	**THE ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS**		
	(a) South Andaman (including Port Blair)	3200	4200
	(b) North and Middle Andaman Little, Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	4000	5200
4.	**SIKKIM**	4000	5200
5.	**LAKSHADWEEP**	4000	5200
6.	**ASSAM**	640	800
7.	**MEGHALAYA**	640	800
8.	**TRIPURA**		
	(a) Difficult area of Tripura as notified by State Government from time to time	3200	4200
	(b) Throughout Tripura except Difficult Areas	2400	3000

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

9.	**MANIPUR**	2400	3000
10.	**ARUNACHAL PRADESH**		
	(a) Difficult Areas of Arunachal Pradesh as notified by State Government from time to time	4000	5200
	(b) Throughout Arunachal Pradesh except Difficult Areas	3200	4200
11.	**JAMMU AND KASHMIR**		
	(i) Kathua District (a) NiabatBani; (b) Lohi; (c) Malhar; (d) Machodi	4000	5200
	(ii) Udhampur District (a) DuduBasantgarh (b) Lender BhamagIllaca; (c) Thakrakote; (d) Nagote.	4000	5200
	TehsilMahone		
	(i) For area uptoGool from Kamban side and areas uptoArnas from Keasiside	3200	4200
	(ii) For the rest of the areas	4000	5200
	(iii) Doda District		
	(a). Illaquas of Padder in KishtwarTehsil (b). NiabatNowgam in KishtwarTehsil	4000	5200
	(iv) Leh District		
	(a). Zanskar, Noyama and Nobre (b). All other places in the district	4000	5200
	(v). Barmulla District		
	(a). Entire Gurez-Niabat, Tangdar, sub-division and KeranIllaqua	4000	5200
	(b). Matchill	3200	4200
	(vi). Poonch and Rajouri District - Areas in Poonch and Rajouri Districts excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two districts	2400	3000
	(vii). Areas not included in (i) to (vi) above, but which are within the distance of 8 Kms from the line of Acrtual Control or at places which may be declared as qualifying for Border Allowance from time to time by the State Government for their own staff	2400	3000
12.	**HIMACHAL PRADESH**		
	1. Chamba District		
	(a). Pangi sub-division, BharmourTehsil, Panchayats: Badgaun, Bajol, DeolKugti, Nayagam and Tundah villages: Ghatu of gram panchayatJagat, Kanrsi of gram panchayat Chauhata	4000	5200

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

	(b). BharmourTehsil excluding panchayats and villages of (a) above.	3200	4200
	(c). Jhandrupanchayat area of BhatiyatTehsil, ChuahTehsil, Dalhousie Town including Banikhet proper, ChurahTehsil, Munrpanchayat and Balazparyana.	2400	3000
	2. Kinnaur District		
	(a). Asrang, Chitkul and HangoKuno/CharangPanchayats, 15/20 area comprising of gram panchayats of ChhotaKhamba, Nathpa and Rupi, Pooh sub-division, excluding the panchayat areas specified above	4000	5200
	(b). Entire district other than areas included in (a) above.	3200	4200
	3. Kullu District		
	(a). 15/20 area of NirmanTehsil, comprising of gram panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	4000	5200
	(b). Outer – Saraj (excluding village of Jakatkhana and Burrow in NirmandTehsil) and entire district excluding out Saraj Area and Pargana of Pandrabis but including villages of JakatKhana and Burrow of TehsilNirmand and MalanaPanchayat area	2400	3000
	(c). Manali-Ujhi areas, Parvati and Lagg valley and Banjar Block	640	800
	4.Lahaul and Spiti: Entire areas of LahaulSpiti District	4000	5200
	5. Shimla District		
	(a). Paraganas of Chaibis, 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda	4000	5200
	(b). Dodra-KwarTehsil, gram panchayats of Darkali of Rampur Tehsil, Kashapattehsil and Munish, GhoriChabis of ParaganaSarahan	3200	4200
	(c). Shimla Town and its suburbs (Mashobra, Dhalli, Taradevi, Kasumbpti, Jatog and Tutu)	2400	3000
	(d). Gram PanchayatsDeothi (Taklech areas) and parganas of Naubis and Teen Koti of Paraganasarhan and Barabis of Rampur Tehsil.	2400	3000
	(e). TrahChopalTehsil, Chopaltehsil and Ghoris, PanchGaon, Patsnau, Kasba Rampur and GhoriNog of Paragana of Rampur Tehsil	2400	3000
	6. Kangra District		
	(a). ChhotaBhangal and Bara Bhangal area of Palampur sub-division	3200	4200
	(b). Dharmashala town of Kangra District and the following offices located outside its municipal limits but included Dharmashala Town: - Women's ITI, Dari, - Mechanical Workshop, Ramnagar,	2400	3000

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

	- Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, - CRSF office at Lower Sakoh, - Kangra Milk supply scheme, Dugiar, - HRTC workshop, Sadher, - Zonal Malaria Office, Dari, - Forest Corporation Office, Shamnagar, - Tea Factory, Dari, - IPH sub-division, Dan, - Settlement Office, Shamnagar, - Binwa Project, Shamnagar.		
	(c). Palampur town of Kangra District including HPKVV campus of Palampur and following offices located outside its municipal limit but included in Palampur town- HP Krishi Vishwavidyalaya Campus, Cattle development office/Jersi farm, Banuri, Sericulture office/Indo-German Agriculture workshop/HPPWD Division, Bundala electrical sub-division, Lohana, DPO Corporation, Bundla Electrical HPSEE division, Ghujjar.	2400	3000
	7. Mandi District		
	(a). Mahog, Sarhan, Gopalpur, Teban, PokhiNauj, Khanoj, Bagra, SainjMahudiKhajol, Manj, Pekhi and BalidharPanchayats of KersogTehsil, Chhuhar Valley of Jogindar Nagar TehsilPanchayats of Gatto, Bagraa, Chhatri, Thachadhar-Garagus-Hain, Kalhani, Thama. Silibagi, Chhetdhar, Chanvar, Tachi, Johar, Kholanal, Somachan, Loth, Jarwar, Janjheli and Kalwanar of ThunagTehsil, Panchayats in Thunag, Chhotdhar, Gariyas, Silibagi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Camlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Sunder Nagar Tehsil – Bohi, batwara, Dhaniyara, Paura, Kothi, Seri and Soja, Janjjheli Block, Chachoittehsil	2400	3000
	8. Sirmaur District		
	Trans-Giri Tract, Pancjhayats of Bani, bakhali, (PachhadTehsil), Bharog- Bheniri (Paontatehsil), Birla (Nahantehsil), Dibbar (pachhadTehsil), Thana Kasoga (NahanTehsil)	2400	3000
	9. Solan District: MangalPanchayat Area	2400	3000
	10. Remaining areas in Himachal Pradesh not included in above nine district	640	800
	UTTARAKHAND:		
13.	Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat District (Including area of Lohaghat)	4000	5200

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff

14.	**WEST BENGAL: South 24 Parganas District**		
	Sunderban areas (South of Dampier, Hodge's line), namely, Bhagtagush, Khali (Rampura), Kumirmari (Bagna), Jhinga Khali, Sajnakhali, Gosava, Amalamathi (Vidya), Canning, Kultali, Piyali, Nalgaraha, Raidighi, Bhanchi, Pathar Pratima, Bhagabatpur, Saptamukhi, Namakhana, Sikarpur, Kakdwip, Sagar, Mousini, Kalinagar, Haroa, Hingalganj, Basanti, Kuemari, Kultola, Ghushaigata (Kulti)	1000	1000

[F. No. S-11012/03/2018-Ins. I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 492(E), dated the 22nd April,1988 and were subsequently amended *vide* G.S.R. 934(E), dated the 27th October, 1989; G.S.R. 322(E), dated the 10th March,1992; G.S.R. 555(E), dated the 22nd June, 2000; G.S.R. 818(E), dated the 2nd November, 2001; G.S.R. 562(E), dated the 5th September, 2005, G.S.R. 827 (E) dated 8th October, 2010 and G.S.R. 31(E) dated 14.01.2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staff